पत्रांक– 5प/यो0–01–10/2008.....3833.........पं0रा0, 20.06.2008 (13)

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा:– वित्त विभाग।

विषय:– ग्राम पंचायतों को उपस्कर (कुर्सियाँ/टेबुल) हेतु 2,65,95,000.00 रू0 (दो करोड़ पैंसठ लाख पिचानवे हजार रूपये) अनुदान की स्वीकृति।

आदेश:– स्वीकृत।

वर्ष 2006 के मई–जून माह में पंचायतों का निर्वाचन कराया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का अस्तित्व शून्य प्राय है। आवश्यक सुविधाओं के अभाव में ग्राम पंचायत द्वारा कार्य सम्पादित करना कठिन होगा। इस परिपेक्ष्य में ग्राम पंचायतों कों कार्यालय हेतु आवश्यक उपस्कर की सुविधा मुहैया कराना जरूरी है।

2. राज्य सरकार ने ग्राम पंचायातों को उपस्कर (कुर्सियाँ/टेबुल) हेतु 2,65,95,000.00 रू0 (दो करोड़ पैंसठ लाख पिचानवे हजार रूपये) अनुदान स्वरूप सलंग्न विवरणी के अनुसार उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की है।

3. प्रत्येक ग्राम पंचायत को 5,000.00 (पाँच हजार रू0) समान दर से राशि आवंटित की जायेगी। यह राशि उसी पंचायत को दी जाएगी जहाँ ग्राम पंचायत का भवन हो। इस आलोक में ग्राम पंचायतों को राशि उपलब्ध कराने के बाद यदि राशि शेष रह जाती है तो उसे अविलंब प्रत्यार्पित किया जायेगा अथवा यदि कुछ ग्राम पंचायतों की राशि उपलब्ध कराया जाना है तो पूर्ण औचित्य के साथ राशि की मांग की जायेगी ताकि उन ग्राम पंचायतों को राशि उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की जा सके।

4. संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी द्वारा क्रय संबंधी नियमों के आलोक में उपस्कर का क्रय जिला स्तर पर किया जायेगा एवं प्रत्येक ग्राम पंचायतों के लिए आंवटित राशि के आलोक में उपस्कर (कुर्सियाँ/टेबुल) उपलब्ध कराया जाएगा।

5. राशि का उपयोग उचित रूप से हो, इसका उत्तरदायित्व जिला पदाधिकारी का होगा। जिला पदाधिकारी अपने जिले से संबंधित राशि के उपयोग/व्यय का प्रमाण–पत्र पंचायती राज विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

6. इस व्यय का वहन "योजना मुख्यशीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–800–अन्य व्यय–उपशीर्ष–0114 ग्राम पंचायत के विभिनन मदों हेतु" से वर्ष 2008–09 में किया जाएगा।

7. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होगें।

8. राशि के निकासी संबंधित जिला कोषागार से इस विभाग द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर की जायेगी।

9. योजना का अनुमोदन की स्वीकृति में सक्षम प्राधिकार (विभागीय मंत्री) का अनुमोदन दिनांक 20.06.2008 को संचिका के पृष्ट 12/टि0 पर प्राप्त है।

(22)

10. वित्त विभाग की सहमती संचिका संख्या के पृष्ट 13/टि० पर प्राप्त है।

11. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार पत्र आवश्यक नहीं है।

12. राशि की निकासी के लिए इसे विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा। जिसके आलोक में राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।

13. इसका विपत्र कोड पी०– 2515008000114 एवं मांग संख्या 16 है।

14. यह वित्त विभाग के यू०ओ०आर० संख्या 1086 दिनांक 20.06.2008 द्वारा अनुमोदित है।

ह0/–

उप निदेशक–सह–उप सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक–5प/यो0–01–10/2008 3033 पं0रा0, पटना, दिनांक 20/6/08

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायती राज/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/6/08

उप निदेशक–सह–उप सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार पटना।

विवरणी

राज्य को ग्राम पंचायतो को उपस्कर (कुर्सियाँ/टेबुल) हेतु वित्तीय वर्ष 2008–09 में स्वीकृत अनुदान राशि (कुल ग्राम ग्राम पंचायतो को संख्या का 62.85 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को 5000/–रू0 प्रति पंचायत की दर से)

55

क्रमांक	जिला का नाम	ग्राम कचहरियों की संख्या	कुल संख्या का 62.85%	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1.	बक्सर	142	89	4,45,000.00
2.	रोहतास	246	155	7,75,000.00
3.	भोजपुर	228	143	7,15,000.00
4.	नालन्दा	249	157	7,85,000.00
5.	पटना	331	208	10,40,000.00
6.	कैमूर	151	95	4,75,000.00
7.	गया	332	209	10,45,000.00
8.	नवादा	187	118	5,90,000.00
9.	औरंगाबाद	203	128	6,40,000.00
10.	जहानाबाद	93	58	2,90,000.00
11.	अरवल	68	43	2,15,000.00
12.	सारण	330	207	10,35,000.00
13.	सीवान	293	184	9,20,000.00
14.	गोपालगंज	234	147	7,35,000.00
15.	मुजफ्फरपुर	387	243	12,15,000.00
16.	वैशाली	290	182	9,10,000.00
17.	पू0 चम्पारण	410	258	12,90,000.00
18.	प0 चम्पारण	315	198	9,90,000.00
19.	सीतामढ़ी	273	172	8,60,000.00
20.	शिवहर	53	33	1,65,000.00
21.	भागलपुर	242	152	7,60,000.00
22.	बांका	185	116	5,80,000.00
23.	मधुबनी	399	251	12,55,000.00
24.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5
26.	सहरसा	153	96	4,80,000.00
27.	मधेपुरा	170	107	5,35,000.00
28.	सुपौल	181	114	5,70,000.00
29.	पूर्णियाँ	251	158	7,90,000.00
30.	अररिया	218	137	6,85,000.00
31.	किशनगंज	126	79	3,95,000.00
32.	कटिहार	238	150	7,50,000.00
33.	मुंगेर	101	63	3,15,000.00
34.	जमुई	153	96	4,80,000.00
35.	बेगुसराय	257	162	8,10,000.00
36.	खगड़िया	129	81	4,05,000.00
37.	लखीसराय	80	50	2,50,000.00
38.	शेखपुरा	54	34	1,70,000.00
	टोटल-	8463	5319	2,65,95,000.00

(दो करोड़ पैंसठ लाख पिचानबे हजार रुपये) मात्र ।

20/6/08

उप निदेशक-सह-उप सचिव, पंचायती राज,
बिहार ।

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

पत्र संख्या– 5प/यो–01–10/2008/पं०रा०/ 4705/ पटना, दिनांक 12/09/2008।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय : ग्राम पंचायतों को उपस्कर (कुर्सियाँ/टेबुल) हेतु 2,65,95,000.00 रु० (दो करोड़ पैंसठ लाख पिचानवे हजार रु०) सहायक अनुदान की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषय से संबंधित राज्यादेश संख्या – 5प/यो0–01–10/2008–3033 दिनांक 20.06.2008 की कंडिका–4 को संशोधित करते हुए निम्नांकित रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"4. संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी द्वारा अनुदान की राशि निकासी कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ग्राम पंचायतों को राशि उपलब्ध करायी जायेगी। ग्राम पंचायतों द्वारा क्रय संबंधी नियमों के आलोक में उपस्कर (कुर्सियाँ/टेबुल) का क्रय किया जायेगा एवं राशि के उपयोग के संबंध में प्रमाण–पत्र जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।"

राज्यादेश संख्या – 5प/यो0–01–10/2008–3033 दिनांक 20.06.2008 की अन्य शर्त्तें पूर्ववत् रहेंगी।

प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

12/9/08

उप निदेशक–सह–उप सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–5प/यो–01–10/2008/पं०रा०/ 4705 / पटना, दिनांक 12/09/2008।

प्रतिलिपि – वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायती राज/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/9/08

उप निदेशक–सह–उप सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पत्र संख्या – 5 यो0–01–10/2008/पं०रा०/ ..../

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

के0 सी0 साहा,
प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक ..../............../2008।

विषय : ग्राम पंचायतों को उपस्कर (कुर्सियाँ/टेबुल) के लिए योजना मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उप मुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–800–अन्य व्यय–उपशीर्ष–0114–ग्राम पंचायतों के विभिन्न मदों हेतु" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 में व्यय हेतु राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक योजना आय–व्ययक शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय हेतु 2,65,95,000.00 रु० (दो करोड़ पैंसठ लाख पिचानवे हजार रु०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन राज्यादेश संख्या – 3033 दिनांक 20.06.2008 एवं 4705 दिनांक 12.09.2008 के आलोक में दिया जा रहा है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दिनांक 17 अप्रैल 1998 में निहित अनुदशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नही समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय।

5. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमों के आलोक में किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

7. कोषागार में प्रस्तुत किये जानेवाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. इसकी मांग संख्या–16 एवं विपत्र कोड संख्या–पी–2515008000114 है।

विवरणी

"योजना मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उप मुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–800–अन्य व्यय–उपशीर्ष–0114–ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 में संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी को राशि का आवंटन।

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (जिला पदाधिकारी)	ग्राम पंचायतों के लिए आवंटित कुल राशि (रु० में)
1	2	3
1	बक्सर	445000.00 (चार लाख पैंतालीस हजार रुपये मात्र)
2	रोहतास	775000.00 (सात लाख पचहत्तर हजार रुपये मात्र)
3	भोजपुर	715000.00 (सात लाख पन्द्रह हजार रुपये मात्र)
4	नालन्दा	785000.00 (सात लाख पिचासी हजार रुपये मात्र)
5	पटना	1040000.00 (दस लाख चालीस हजार रुपये मात्र)
6	कैमूर	475000.00 (चार लाख पचहत्तर हजार रुपये मात्र)
7	गया	1045000.00 (दस लाख पैंतालीस हजार रुपये मात्र)
8	नवादा	590000.00 (पाँच लाख नब्बे हजार रुपये मात्र)
9	औरंगाबाद	640000.00 (छः लाख चालीस हजार रुपये मात्र)
10	जहानाबाद	290000.00 (दो लाख नब्बे हजार रुपये मात्र)
11	अरवल	215000.00 (दो लाख पन्द्रह हजार रुपये मात्र)
12	सारण	1035000.00 (दस लाख पैंतीस हजार रुपये मात्र)
13	सीवान	920000.00 (नौ लाख बीस हजार रुपये मात्र)
14	गोपालगंज	735000.00 (सात लाख पैंतीस हजार रुपये मात्र)
15	मुजफ्फरपुर	1215000.00 (बारह लाख पन्द्रह हजार रुपये मात्र)
16	वैशाली	910000.00 (नौ लाख दस हजार रुपये मात्र)
17	पू० चम्पारण	1290000.00 (बारह लाख नब्बे हजार रुपये मात्र)
18	पश्चिम चम्पारण	990000.00 (नौ लाख नब्बे हजार रुपये मात्र)
19	सीतामढ़ी	860000.00 (आठ लाख साठ हजार रुपये मात्र)
20	शिवहर	165000.00 (एक लाख पैंसठ हजार रुपये मात्र)
21	भागलपुर	760000.00 (सात लाख साठ हजार रुपये मात्र)
22	बांका	580000.00 (पाँच लाख अस्सी हजार रुपये मात्र)
23	मधुबनी	1255000.00 (बारह लाख पचपन हजार रुपये मात्र)
24	समस्तीपुर	1195000.00 (ग्यारह लाख पिचानवे हजार रुपये मात्र)
25	दरभंगा	1035000.00 (दस लाख पैंतीस हजार रुपये मात्र)
26	सहरसा	480000.00 (चार लाख अस्सी हजार रुपये मात्र)
27	मधेपुरा	535000.00 (पाँच लाख पैंतीस हजार रुपये मात्र)
28	सुपौल	570000.00 (पाँच लाख सत्तर हजार रुपये मात्र)
29	पूर्णिया	790000.00 (सात लाख नब्बे हजार रुपये मात्र)
30	अररिया	685000.00 (छः लाख पिचासी हजार रुपये मात्र)
31	किशनगंज	395000.00 (तीन लाख पिचानवे हजार रुपये मात्र)
32	कटिहार	750000.00 (सात लाख पचास हजार रुपये मात्र)
33	मुंगेर	315000.00 (तीन लाख पन्द्रह हजार रुपये मात्र)
34	जमुई	480000.00 (चार लाख अस्सी हजार रुपये मात्र)
35	बेगूसराय	810000.00 (आठ लाख दस हजार रुपये मात्र)
36	खगड़िया	405000.00 (चार लाख पाँच हजार रुपये मात्र)
37	लखीसराय	250000.00 (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र)
38	शेखपुरा	170000.00 (एक लाख सत्तर हजार रुपये मात्र)
	कुल योग :–	26595000.00 (दो करोड़ पैंसठ लाख पिचानवे हजार रुपये मात्र)

9. इसकी व्यय विवरणी टी0भी0नं0 एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को भेजी जाये।

10. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे।

11. राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी। यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक – 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में दिया जा रहा है, जिसके आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र आवश्यक नहीं है।

12. आवंटन पत्र का प्रत्येक पृष्ठ पर निदेशक, पंचायती राज, बिहार, पटना का हस्ताक्षर अंकित है। इसमें किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब सूचित किया जाय।

विश्वासभाजन,

प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 5 यो0–01–10/2008/पं०रा०/ ..../

पटना, दिनांक ..../............../2008।

प्रतिलिपि :– महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

विवरणी

"योजना मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उप मुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–800–अन्य व्यय–उपशीर्ष–0114–ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 में संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी को राशि का आवंटन।

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (जिला पदाधिकारी)	ग्राम पंचायतों के लिए आवंटित कुल राशि (रु० में)	
1	2	3	
1	बक्सर	445000.00	(चार लाख पैंतालीस हजार रुपये मात्र)
2	रोहतास	775000.00	(सात लाख पचहत्तर हजार रुपये मात्र)
3	भोजपुर	715000.00	(सात लाख पन्द्रह हजार रुपये मात्र)
4	नालन्दा	785000.00	(सात लाख पिचासी हजार रुपये मात्र)
5	पटना	1040000.00	(दस लाख चालीस हजार रुपये मात्र)
6	कैमूर	475000.00	(चार लाख पचहत्तर हजार रुपये मात्र)
7	गया	1045000.00	(दस लाख पैंतालीस हजार रुपये मात्र)
8	नवादा	590000.00	(पाँच लाख नब्बे हजार रुपये मात्र)
9	औरंगाबाद	640000.00	(छः लाख चालीस हजार रुपये मात्र)
10	जहानाबाद	290000.00	(दो लाख नब्बे हजार रुपये मात्र)
11	अरवल	215000.00	(दो लाख पन्द्रह हजार रुपये मात्र)
12	सारण	1035000.00	(दस लाख पैंतीस हजार रुपये मात्र)
13	सीवान	920000.00	(नौ लाख बीस हजार रुपये मात्र)
14	गोपालगंज	735000.00	(सात लाख पैंतीस हजार रुपये मात्र)
15	मुजफ्फरपुर	1215000.00	(बारह लाख पन्द्रह हजार रुपये मात्र)
16	वैशाली	910000.00	(नौ लाख दस हजार रुपये मात्र)
17	पू० चम्पारण	1290000.00	(बारह लाख नब्बे हजार रुपये मात्र)
18	पश्चिम चम्पारण	990000.00	(नौ लाख नब्बे हजार रुपये मात्र)
19	सीतामढ़ी	860000.00	(आठ लाख साठ हजार रुपये मात्र)
20	शिवहर	165000.00	(एक लाख पैंसठ हजार रुपये मात्र)
21	भागलपुर	760000.00	(सात लाख साठ हजार रुपये मात्र)
22	बांका	580000.00	(पाँच लाख अस्सी हजार रुपये मात्र)
23	मधुबनी	1255000.00	(बारह लाख पचपन हजार रुपये मात्र)
24	समस्तीपुर	1195000.00	(ग्यारह लाख पिचानवे हजार रुपये मात्र)
25	दरभंगा	1035000.00	(दस लाख पैंतीस हजार रुपये मात्र)
26	सहरसा	480000.00	(चार लाख अस्सी हजार रुपये मात्र)
27	मधेपुरा	535000.00	(पाँच लाख पैंतीस हजार रुपये मात्र)
28	सुपौल	570000.00	(पाँच लाख सत्तर हजार रुपये मात्र)
29	पूर्णिया	790000.00	(सात लाख नब्बे हजार रुपये मात्र)
30	अररिया	685000.00	(छः लाख पिचासी हजार रुपये मात्र)
31	किशनगंज	395000.00	(तीन लाख पिचानवे हजार रुपये मात्र)
32	कटिहार	750000.00	(सात लाख पचास हजार रुपये मात्र)
33	मुंगेर	315000.00	(तीन लाख पन्द्रह हजार रुपये मात्र)
34	जमुई	480000.00	(चार लाख अस्सी हजार रुपये मात्र)
35	बेगूसराय	810000.00	(आठ लाख दस हजार रुपये मात्र)
36	खगड़िया	405000.00	(चार लाख पाँच हजार रुपये मात्र)
37	लखीसराय	250000.00	(दो लाख पचास हजार रुपये मात्र)
38	शेखपुरा	170000.00	(एक लाख सत्तर हजार रुपये मात्र)
	कुल योग :–	26595000.00	(दो करोड़ पैंसठ लाख पिचानवे हजार रुपये मात्र)

पत्र संख्या – 5 यो0–01–10/2008/पं०रा०/ 35(आ0) /

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

मयंक वरवडे,
निदेशक,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक 10/10/2008।

विषय : ग्राम पंचायतों को उपस्कर (कुर्सियाँ/टेबुल) के लिए योजना मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उप मुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–800–अन्य व्यय–उपशीर्ष–0114–ग्राम पंचायतों के विभिन्न मदों हेतु" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 में व्यय हेतु राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक योजना आय–व्ययक शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय हेतु 2,65,95,000.00 रु० (दो करोड़ पैंसठ लाख पिचानवे हजार रु०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन राज्यादेश संख्या – 3033 दिनांक 20.06.2008 एवं 4705 दिनांक 12.09.2008 के आलोक में दिया जा रहा है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2361 दि(2) दिनांक 17 अप्रैल 1998 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नही समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय।

5. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमों के आलोक में किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

7. कोषागार में प्रस्तुत किये जानेवाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. इसकी मांग संख्या–16 एवं विपत्र कोड संख्या–पी–2515008000114 है।

9. इसकी व्यय विवरणी टी0भी0नं0 एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को भेजी जाये।

10. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे।

11. राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी। यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक – 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में दिया जा रहा है, जिसके आलोकं में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र आवश्यक नहीं है।

12. आवंटन पत्र का प्रत्येक पृष्ठ पर निदेशक, पंचायती राज, बिहार, पटना का हस्ताक्षर अंकित है। इसमें किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब सूचित किया जाय।

विश्वासभाजन,

10/10/2008

निदेशक,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 5 यो0–01–10/2008/पं०रा०/ 35(आ0)/ पटना, दिनांक 10/10/2008।

प्रतिलिपि :– महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/10/2008

निदेशक,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पत्र संख्या – 5 पं0–01–10/2008/प0रा0/ ....[illegible]/

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

के0 सी0 साहा,

प्रधान सचिव,

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक 12 / 2 /2009।

विषय : ग्राम पंचायतों को उपस्कर/कुर्सियाँ (टेबुल) के लिए योजना मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उप मुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–800–अन्य व्यय–उपशीर्ष–0114–ग्राम पंचायत के विभिन्न मदों हेतु" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 में व्यय हेतु राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक योजना आय–व्ययक शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय हेतु 1,57,20,000.00 रु० (एक करोड़ सनतावन लाख बीस हजार रु०) मात्र की राशि अतिरिक्त रूप से आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन राज्यादेश संख्या – 244 दिनांक 12.02.2009 के आलोक में दिया जा रहा हैं।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दिनांक 17 अप्रैल 1998 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नही समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय।

5. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमों के आलोक में किया जाय। यदि कोई छदमपूर्ण या अनियमित निकासी होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

7. कोषागार में प्रस्तुत किये जानेवाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. इसकी मांग संख्या–16 एवं विपत्र कोड संख्या–पी–2515008000114 है।

9. इसकी व्यय विवरणी टी0भी0नं0 एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को भेजी जाये।

10. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे।

11. राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी। यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक – 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में दिया जा रहा है, जिसके आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र आवश्यक नहीं है।

विश्वासभाजन,

12.2.09

प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 5 यो0–01–10/2008/पं०रा०/ 61(आ0)/ पटना, दिनांक 12/2/2009।

प्रतिलिपि :– महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.2.09

प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

विवरणी

"...जना मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उप मुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–800–अन्य व्यय–उपशीर्ष–0114–ग्राम पंचायत के विभिन्न मदों हेतु" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 में संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी को राशि का आवंटन।

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (जिला पदाधिकारी)	ग्राम पंचायतों के लिए आवंटित कुल राशि (रु० में)
1	2	3
1	बक्सर	265000.00 (दो लाख पैंसठ हजार रु० मात्र)
2	रोहतास	455000.00 (चार लाख पचपन हजार रु० मात्र)
3	भोजपुर	425000.00 (चार लाख पच्चीस हजार रु० मात्र)
4	नालन्दा	460000.00 (चार लाख साठ हजार रु० मात्र)
5	पटना	615000.00 (छः लाख पन्द्रह हजार रु० मात्र)
6	कैमूर	280000.00 (दो लाख अस्सी हजार रु० मात्र)
7	गया	615000.00 (छः लाख पन्द्रह हजार रु० मात्र)
8	नवादा	345000.00 (तीन लाख पैंतालीस हजार रु० मात्र)
9	औरंगाबाद	375000.00 (तीन लाख पिचहत्तर हजार रु० मात्र)
10	जहानाबाद	175000.00 (एक लाख पिचहत्तर हजार रु० मात्र)
11	अरवल	125000.00 (एक लाख पच्चीस हजार रु० मात्र)
12	सारण	615000.00 (छः लाख पन्द्रह हजार रु० मात्र)
13	सीवान	545000.00 (पाँच लाख पैंतालीस हजार रु० मात्र)
14	गोपालगंज	435000.00 (चार लाख पैंतीस हजार रु० मात्र)
15	मुजफ्फरपुर	720000.00 (सात लाख बीस हजार रु० मात्र)
16	वैशाली	540000.00 (पाँच लाख चालीस हजार रु० मात्र)
17	पू० चम्पारण	760000.00 (सात लाख साठ हजार रु० मात्र)
18	पश्चिम चम्पारण	585000.00 (पाँच लाख पिचासी हजार रु० मात्र)
19	सीतामढ़ी	505000.00 (पाँच लाख पाँच हजार रु० मात्र)
20	शिवहर	100000.00 (एक लाख रु० मात्र)
21	भागलपुर	450000.00 (चार लाख पचास हजार रु० मात्र)
22	बांका	345000.00 (तीन लाख पैंतालीस हजार रु० मात्र)
23	मधुबनी	740000.00 (सात लाख चालीस हजार रु० मात्र)
24	समस्तीपुर	710000.00 (सात लाख दस हजार रु० मात्र)
25	दरभंगा	615000.00 (छः लाख पन्द्रह हजार रु० मात्र)
26	सहरसा	285000.00 (दो लाख पिचासी हजार रु० मात्र)
27	मधेपुरा	315000.00 (तीन लाख पन्द्रह हजार रु० मात्र)
28	सुपौल	335000.00 (तीन लाख पैंतीस हजार रु० मात्र)
29	पूर्णिया	465000.00 (चार लाख पैंसठ हजार रु० मात्र)
30	अररिया	405000.00 (चार लाख पाँच हजार रु० मात्र)
31	किशनगंज	235000.00 (दो लाख पैंतीस हजार रु० मात्र)
32	कटिहार	440000.00 (चार लाख चालीस हजार रु० मात्र)
33	मुंगेर	190000.00 (एक लाख नब्बे हजार रु० मात्र)
34	जमुई	285000.00 (दो लाख पिचासी हजार रु० मात्र)
35	बेगूसराय	475000.00 (चार लाख पिचहत्तर हजार रु० मात्र)
36	खगड़िया	240000.00 (दो लाख चालीस हजार रु० मात्र)
37	लखीसराय	150000.00 (एक लाख पचास हजार रु० मात्र)
38	शेखपुरा	100000.00 (एक लाख रु० मात्र)
	कुल योग :–	**15720000.00 (एक करोड़ सनतावन लाख बीस हजार रु० मात्र)**

12.2.09

प्रधान सचिव

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

शुद्धि-पत्र

पत्र संख्या – 5प/यो0–01–10/2008/पं0रा0/ 68 (आ0)/ पटना दिनांक 25/02/2009

प्रेषक,

के0सी0 साहा,
प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार, पटना।
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय : ग्राम पंचायतों को उपस्कर (टेबुल/कुर्सियाँ) हेतु 2,65,95,000.00 रु० (दो करोड़ पैंसठ लाख पिचानवे हजार रुपये) अनुदान की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंधित राज्यादेश संख्या – 5प/यो0–01–10/2008/पं0रा0/3033/ दिनांक 20.06.2008 के साथ संलग्न विवरणी के क्रमांक – 3 में ग्राम कचहरियों की संख्या के स्थान पर "ग्राम पंचायतों" की संख्या पढ़ा जाय।

राज्यादेश की शेष शर्त्तें यथावत् रहेगी।

ह0/-
प्रधान सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 5प/यो0–01–10/2008/पं0रा0/ 68 (आ0)/ पटना दिनांक 25/02/2009।

प्रतिलिपि – वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायती राज/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 24.2.09
प्रधान सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

(46)

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

पत्रांक–5प0 / यो0–01–10 / 2008...244...पं0रा0, पटना, दिनांक....12.02.2009

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

विषयः– राज्य की 3144 ग्राम पंचायतों को उपस्कर (कुर्सियाँ/टेबुल) हेतु 1,57,20,000.00 (एक करोड़ सत्तावन लाख बीस हजार रूपये) अनुदान की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

वर्ष 2006 के मई–जून माह में पंचायतों का निर्वाचन कराया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का अस्तित्व शून्य प्रायः है। आवश्यक सुविधाओं के अभाव में ग्राम पंचायत द्वारा कार्य सम्पादित करना कठिन होगा। इस परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायतों को उपस्कर की सुविधा उपलब्ध कराना है।

2. राज्यादेश संख्या 3033 दिनांक 21.06.2008 द्वारा उपस्कर (कुर्सियाँ/टेबुल) हेतु 2,65,95,000.00 रू० (दो करोड़ पैंसठ लाख पिचानबे हजार रूपये) अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रति ग्राम पंचायत 5000/– की दर से यह राशि 5319 ग्राम पंचायतों के लिए उपलब्ध करायी गयी है। इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा राज्य की शेष 3144 ग्राम पंचायतों को उपस्कर (कुर्सियाँ/टेबुल) हेतु 1,57,20,000.00 (एक करोड़ सत्तावन लाख बीस हजार रूपये) अनुदान स्वरूप संलग्न विवरणी के अनुसार स्वीकृत की गयी है।

3. संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी द्वारा अनुदान की राशि निकासी कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ग्राम पंचायतों को राशि उपलब्ध करायी जायेगी। ग्राम पंचायतों द्वारा क्रय संबंधी नियमों के आलोक में (कुर्सियों/टेबुल) का क्रय किया जायेगा एवं राशि के उपयोग के संबंध में प्रमाण–पत्र जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. राशि का उपयोग उचित रूप से हो, इसका उत्तरदायित्व जिला पदाधिकारी का होगा। जिला पदाधिकारी अपने जिले से संबंधित राशि के उपयोग/व्यय का प्रमाण–पत्र पंचायती राज विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

5. इस व्यय का वहन "योजना मुख्यशीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–800–अन्य व्यय–उपशीर्ष–0114 ग्राम पंचायत के विभिन्न मदो हेतु" से वर्ष 2008–09 में किया जाएगा।

6. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होगें।

7. राशि के निकासी संबंधित जिला कोषागार से इस विभाग द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर की जायेगी।

8. योजना का अनुमोदन की स्वीकृति में सक्षम प्राधिकारी प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन दिनांक को संचिका के पृष्ट......./टि0 पर प्राप्त है।

9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमती संचिका संख्या के पृष्ट ..29../टि0 पर प्राप्त है।

10. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.1.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार पत्र आवश्यक नहीं है।

11. राशि की निकासी के लिए इसे विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा। जिसके आलोक में राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।

12. इसका विपत्र कोड पी0–2515008000114 एवं मांग संख्या 16 है।

विश्वासभाजन

12/2/09

उप निदेशक–सह–उप सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक–5प0/यो0–01–10/2008–244 पं0रा0, पटना, दिनांक 12.02.–2009

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायती राज/ सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/ सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/2/09

उप निदेशक–सह–उप सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार पटना।

विवरणी

राज्य की 3144 पंचायतों को उपस्कर (कुर्सियों/टेबुल) हेतु वित्तीय वर्ष 2008–09 में स्वीकृत राशि 5000/– रूपये प्रति पंचायत की दर से।

क्रमांक	जिला का नाम	जिले में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	जिले के ग्राम पंचायतों की संख्या जिसके विरूद्ध राशि स्वीकृत की जा रही है।	स्वीकृत राशि
1	बक्सर	142	53	265000
2	रोहतास	246	91	455000
3	भोजपुर	228	85	425000
4	नालन्दा	249	92	460000
5	पटना	331	123	615000
6	कैमुर	151	56	280000
7	गया	332	123	615000
8	नवादा	187	69	345000
9	औरंगाबाद	203	75	375000
10	जहानाबाद	93	35	175000
11	अरवल	68	25	125000
12	सारण	330	123	615000
13	सीवान	293	109	545000
14	गोपालगंज	234	87	435000
15	मुजफ्फरपुर	387	144	720000
16	वैशाली	290	108	540000
17	पूर्वी चम्पारण	410	152	760000
18	पश्चिमी चम्पारण	315	117	585000
19	सीतामढ़ी	273	101	505000
20	शिवहर	53	20	100000
21	भागलपुर	242	90	450000
22	बांका	185	69	345000
23	मधुबनी	399	148	740000
24	समस्तीपुर	381	142	710000
25	दरभंगा	330	123	615000
26	सहरसा	153	57	285000
27	मधेपुरा	170	63	315000
28	सुपौल	181	67	335000

क्रमांक	जिला का नाम	जिले में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	जिले के ग्राम पंचायतों की संख्या जिसके विरूद्ध राशि स्वीकृत की जा रही है।	स्वीकृत राशि
29	पूर्णियाँ	251	93	465000
30	अररिया	218	81	405000
31	किशनगंज	126	47	235000
32	कटिहार	238	88	440000
33	मुंगेर	101	38	190000
34	जमुई	153	57	285000
35	बेगुसराय	257	95	475000
36	खगड़िया	129	48	240000
37	लखीसराय	80	30	150000
38	शेखपुरा	54	20	100000
	कुल योग	8463	3144	15720000

1,57,20,000.00 (एक करोड़ सत्तावन लाख बीस हजार रूपये)

17-7-09

उप निदेशक–सह–उप सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार पटना।

दिनांक 6.1.09 .... को पंचायती राज विभाग से संबंधित प्रस्तावों पर योजना प्राधिकृत समिति की बैठक की कार्यवाही :

---

1. विषय एवं प्रस्ताव :– राज्य की 3144 ग्राम पंचायतों को उपस्कर (कुर्सियाँ/टेबुल) हेतु 1,57,20,000.00 रु० (एक करोड़ सनतावन लाख बीस हजार रुपये) प्रत्येक ग्राम पंचायत को 5000.00 रु० (पाँच हजार रुपये) समान दर पर अनुदान स्वरूप उपलब्ध कराने की स्वीकृति।

2. संचिका संख्या :– 5प/यो0–01–10/2008

3. संलेख का ज्ञापांक एवं तिथि :– ज्ञापांक – 6470 दिनांक 29.12.2008

4. बजट शीर्ष, उपशीर्ष पृष्ठ संख्या एवं निधि की उपलब्धता :– "योजना मुख्य शीर्ष–2515– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–लघुशीर्ष–800–अन्य व्यय– उप शीर्ष–0114–ग्राम पंचायत के विभिन्न मदों हेतु"

   द्वितीय अनुपूरक बजट द्वारा राशि का उपबंध किया गया है।

5. समिति द्वारा लिया गया निर्णय (शर्त्त अगर कोई हो तो) :– प्रस्ताव स्वीकृत।

6/1/9 (सुनील बर्णवाल) ~~(अरूनीश चावला)~~ अपर वित्त आयुक्त वित्त विभाग	6/1/2009 (रामेश्वर सिंह) प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग 11/मा.यो. 7-1-2009	6.1.09 (के0 सी0 साहा) प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग	(एस0 विजय राघवन) 6.01.09 विकास आयुक्त

पत्र संख्या – 5 यो0–01–10/2008/पं०रा०/ 61(ज्ञा0)/

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

के0 सी0 साहा,
प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक 12 / 2 /2009।

विषय : ग्राम पंचायतों को उपस्कर/कुर्सियाँ (टेबुल) के लिए योजना मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उप मुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–800–अन्य व्यय–उपशीर्ष–0114–ग्राम पंचायत के विभिन्न मदों हेतु' के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 में व्यय हेतु राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक योजना आय–व्ययक शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय हेतु 1,57,20,000.00 रु० (एक करोड़ सनतावन लाख बीस हजार रु०) मात्र की राशि अतिरिक्त रूप से आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन राज्यादेश संख्या – 244 दिनांक 12.02.2009 के आलोक में दिया जा रहा है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दिनांक 17 अप्रैल 1998 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नही समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय।

5. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमों के आलोक में किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

7. कोषागार में प्रस्तुत किये जानेवाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. इसकी मांग संख्या–16 एवं विपत्र कोड संख्या–पी–2515008000114 है।

9. इसकी व्यय विवरणी टी0भी0नं0 एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को भेजी जाये।

कृ0पृ0उ0......./

E:\Sarvesh\PM7-2009\2009\February_09\PS_February_09 (4) (Computer_1)

10. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे।

11. राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी। यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक – 7355 दिनांक 06.10.2007 के आलोक में किया जा रहा है, जिसके आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र आवश्यक नहीं है।

विश्वासभाजन,

12.2.09

प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 6 बी0–01–10/2008/पं0रा0/ 61(अ0) /

पटना, दिनांक 12 / 2 /2009।

प्रतिलिपि :– महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.2.09

प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

पत्रांक–5प0 / यो0–01–11 / 2008 245 पं0रा0, पटना, दिनांक 12 2 2009

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

विषय:– **राज्य की 3144 ग्राम कचहरियों को उपस्कर (कुर्सियाँ/टेबुल) हेतु 1,57,20,000.00 (एक करोड़ सत्तावन लाख बीस हजार रूपये) अनुदान की स्वीकृति।**

आदेश:– स्वीकृत।

वर्ष 2006 के मई–जून माह में कचहरियों का निर्वाचन कराया गया है। ग्राम कचहरी स्तर पर आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का अस्तित्व शून्य प्राय: है। आवश्यक सुविधाओं के अभाव में ग्राम कचहरी द्वारा कार्य सम्पादित करना कठिन होगा। इस परिप्रेक्ष्य में ग्राम कचहरियों को उपस्कर की सुविधा उपलब्ध कराना है।

13. राज्यादेश संख्या 3033 दिनांक 21.06.2008 द्वारा उपस्कर (कुर्सियाँ/टेबुल) हेतु 2,65,95,000.00 रू0 (दो करोड़ पैंसठ लाख पिचानबे हजार रूपये) अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रति ग्राम कचहरी 5000/– की दर से यह राशि 5319 ग्राम कचहरियों के लिए उपलब्ध करायी गयी है। इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा शेष 3144 ग्राम कचहरियों को उपस्कर (कुर्सियाँ/टेबुल) हेतु 1,57,20,000.00 (एक करोड़ सत्तावन लाख बीस हजार रूपये) अनुदान स्वरूप संलग्न विवरणी के अनुसार स्वीकृत की गयी है।

14. संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी द्वारा अनुदान की राशि निकासी कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ग्राम कचहरियों को राशि उपलब्ध करायी जायेगी। ग्राम कचहरियां द्वारा क्रय संबंधी नियमों के आलोक में (कुर्सियाँ/टेबुल) का क्रय किया जायेगा एवं राशि के उपयोग के संबंध में प्रमाण–पत्र जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

15. राशि का उपयोग उचित रूप से हो, इसका उत्तरदायित्व जिला पदाधिकारी का होगा। जिला पदाधिकारी अपने जिले से संबंधित राशि के उपयोग/व्यय का प्रमाण–पत्र पंचायती राज विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

16. इस व्यय का वहन "योजना मुख्यशीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–800–अन्य व्यय–उपशीर्ष–0112 ग्राम कचहरी के विभिन्न मदो हेतु" से वर्ष 2008–09 में किया जाएगा।

17. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे।

18. राशि के निकासी संबंधित जिला कोषागार से इस विभाग द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर की जायेगी।

19. योजना का अनुमोदन की स्वीकृति में सक्षम प्राधिकारी प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन दिनांक को संचिका के पृष्ट......./टि0 पर प्राप्त है।

20. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमती संचिका संख्या के पृष्ट 32/टि0 पर प्राप्त है।

21. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.1.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार पत्र आवश्यक नहीं है।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी
गया

Scanned by CamScanner

विवरणी

"2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उप मुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–800–अन्य व्यय–उपशीर्ष–0112–ग्राम कचहरी के मदों हेतु" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 में संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी को राशि का आवंटन।

क्रमांक	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (जिला पदाधिकारी)	ग्राम कचहरियों के लिए आवंटित कुल राशि (रु० में)
	2	3
[illegible]	बक्सर	265000.00 (दो लाख पैंसठ हजार रु० मात्र)
2	रोहतास	455000.00 (चार लाख पचपन हजार रु० मात्र)
3	भोजपुर	425000.00 (चार लाख पच्चीस हजार रु० मात्र)
4	[illegible]न्दा	460000.00 (चार लाख साठ हजार रु० मात्र)
5	प[illegible]	615000.00 (छ लाख पन्द्रह हजार रु० मात्र)
6	कैमूर	280000.00 (दो लाख अस्सी हजार रु० मात्र)
7	गया	615000.00 (छ लाख पन्द्रह हजार रु० मात्र)
8	नवादा	345000.00 (तीन लाख पैंतालीस हजार रु० मात्र)
9	औरंगाबाद	375000.00 (तीन लाख पिचहत्तर हजार रु० मात्र)
10	जहानाबाद	175000.00 (एक लाख पिचहत्तर हजार रु० मात्र)
11	अरवल	125000.00 (एक लाख पच्चीस हजार रु० मात्र)
12	सारण	615000.00 (छः लाख पन्द्रह हजार रु० मात्र)
13	सीवान	545000.00 (पाँच लाख पैंतालीस हजार रु० मात्र)
14	गोपालगंज	435000.00 (चार लाख पैंतीस हजार रु० मात्र)
15	मुजफ्फरपुर	720000.00 (सात लाख बीस हजार रु० मात्र)
16	वैशाली	540000.00 (पाँच लाख चालीस हजार रु० मात्र)
17	पू० चम्पारण	760000.00 (सात लाख साठ हजार रु० मात्र)
18	पश्चिम चम्पारण	585000.00 (पाँच लाख पिचासी हजार रु० मात्र)
19	सीतामढ़ी	505000.00 (पाँच लाख पाँच हजार रु० मात्र)
[illegible]	शिवहर	100000.00 (एक लाख रु० मात्र)
21	[illegible]लपुर	450000.00 (चार लाख पचास हजार रु० मात्र)
22	[illegible]	345000.00 (तीन लाख पैंतालीस हजार रु० मात्र)
23	मधुबनी	740000.00 (सात लाख चालीस हजार रु० मात्र)
24	समस्तीपुर	710000.00 (सात लाख दस हजार रु० मात्र)
25	दरभंगा	615000.00 (छः लाख पन्द्रह हजार रु० मात्र)
26	सहरसा	285000.00 (दो लाख पिचासी हजार रु० मात्र)
27	मधेपुरा	315000.00 (तीन लाख पन्द्रह हजार रु० मात्र)
28	सुपौल	335000.00 (तीन लाख पैंतीस हजार रु० मात्र)
29	पूर्णिया	465000.00 (चार लाख पैंसठ हजार रु० मात्र)
30	अररिया	405000.00 (चार लाख पाँच हजार रु० मात्र)
31	किशनगंज	235000.00 (दो लाख पैंतीस हजार रु० मात्र)
32	कटिहार	440000.00 (चार लाख चालीस हजार रु० मात्र)
33	[illegible]र	190000.00 (एक लाख नब्बे हजार रु० मात्र)
34	जमुई	285000.00 (दो लाख पिचासी हजार रु० मात्र)
35	बेगूसराय	475000.00 (चार लाख पिचहत्तर हजार रु० मात्र)
36	खगड़िया	240000.00 (दो लाख चालीस हजार रु० मात्र)
37	लखीसराय	150000.00 (एक लाख पचास हजार रु० मात्र)
38	शेखपुरा	100000.00 (एक लाख रु० मात्र)
	कुल योग :–	15720000.00 (एक करोड़ सनतावन लाख बीस हजार रु० मात्र)

प्रधान सचिव

Scanned by CamScanner

पटना, दिनांक 30 मार्च, 2005

ज्ञापांक 3प/स1--201/04/ग्रा० पं०/ 1274 /

प्रतिलिपि – अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

सरकार के सचिव

पटना, दिनांक 30 मार्च, 2005।

ज्ञापांक 3प/स1--201/04/ग्रा० पं०/ 1274 /

प्रतिलिपि – अनुलग्नक की प्रति के साथ सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

पटना, दिनांक 30 मार्च, 2005।

ज्ञापांक 3प/स1--201/04/ग्रा० पं०/ 1274 /

प्रतिलिपि – अनुलग्नक की प्रति के साथ संबंधित सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषदों/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

2. संबंधित उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषदों से अनुरोध है कि इस राशि को किसी दूसरे प्रयोजन पर कदापि खर्च नहीं किया जाये तथा इस अनुदान में व्यय का उपयोगिता प्रमाण–पत्र अप्रैल, 2005 तक अवश्य भेजा जाये। जिला परिषद् से इस आशय की विवरणी नहीं प्राप्त होने पर आगामी वित्तीय वर्ष में अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

सरकार के सचिव

(1)
(1)
-269

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, पंचायत राज,
विधायक/पार्षद योजना एवं कोशी क्रान्ति योजना का कार्य)

वित्तीय वर्ष 2004–05 में गैर योजना मद से राज्य के जिला परिषदों के बीच ग्रामीण सड़कों / पुलियों की मरम्मती एवं संधारण हेतु अनुदान की स्वीकृति।

क्रमांक	जिला परिषद् का नाम	स्वीकृत राशि (रुपये में)
1	2	3
1.	पटना	3,33,000.00
2.	नालन्दा	3,33,000.00
3.	गया	3,33,000.00
4.	जहानाबाद	3,33,000.00
5.	औरंगाबाद	3,33,000.00
6.	अरवल	3,33,000.00
7.	भोजपुर	3,33,000.00
8.	कैमूर	3,33,000.00
9.	सारण	3,33,000.00
10.	सिवान	3,33,000.00
11.	गोपालगंज	3,33,000.00
12.	वैशाली	3,33,000.00
13.	सीतामढ़ी	3,33,000.00
14.	मोतीहारी	3,33,000.00
15.	बेतिया	3,33,000.00
16.	समस्तीपुर	3,33,000.00
17.	मुजफ्फरपुर	3,33,000.00
18.	बेगूसराय	3,33,000.00 ×
19.	मुंगेर	3,33,000.00
20.	खगड़िया	3,33,000.00
21.	लखीसराय	3,33,000.00
22.	जमुई	3,33,000.00
23.	मधुबनी	3,33,000.00
24.	सहरसा	3,33,000.00
25.	बांका	3,33,000.00
26.	भागलपुर	3,43,000.00
27.	पूर्णिया	3,33,000.00
28.	अररिया	3,33,000.00
29.	किशनगंज	3,33,000.00
30.	कटिहार	3,33,000.00
	कुल योग :–	1,00,00,000.00
		(कुल एक करोड़ रु० मात्र)

30/3/2005
सरकार के सचिव

(80)

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

पत्रांक– 5प/यो०–1–26/2009/6936/पं०रा०. पटना दिनांक 30-11-2009

प्रेषक,

डॉ० दीपक प्रसाद,
सचिव।
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषयः– राज्य के ग्राम कचहरियों को, जिन्हें अपना भवन नहीं है, प्रत्येक ग्राम कचहरी अधिकतम 500.00 (पाँच सौ रू०) प्रतिमाह की दर से किराया पर भवन उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2009–10 में 2,15,27,000.00 रूपये (दो करोड़ पन्द्रह लाख सत्ताईस हजार रूपये) ग्राम कचहरियों को अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 90 में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में अधिनियम के अधीन सौंपे गये न्यायिक कृत्यों के निर्वहन हेतु एक ग्राम कचहरी की स्थापना का प्रावधान है। ग्राम कचहरी स्तर पर आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की अस्तित्व शून्यप्राय है। अधिकांश ग्राम कचहरियों को अपना भवन नहीं है, जिसके कारण उन्हें अपने कार्य सम्पादन में कठिनाई हो रही है।

2. राज्य सरकार ने राज्य के ग्राम कचहरियों को, जिन्हें अपना भवन नहीं है, प्रत्येक ग्राम कचहरी अधिकतम 500/– रू० प्रतिमाह की दर से किराया पर भवन उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2009–10 में 2,15,27,000.00 रूपये (दो करोड़ पन्द्रह लाख सताईस हजार रूपये) ग्राम कचहरियों को अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3. संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी द्वारा अनुदान राशि की निकासी कर ग्राम कचहरी के खाते में जमा किया जायेगा। राशि का भुगतान ग्राम कचहरी के सरपंच/ उप सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। ग्राम कचहरी द्वारा राशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण–पत्र जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला पदाधिकारी द्वारा समेकित रूप से आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. राशि का उपयोग उचित रूप से हो इसका उत्तरदायित्व जिला पदाधिकारी का होगा।

5. इस व्यय का वहन "योजना मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–लघुशीर्ष–800–अन्य व्यय–उपशीर्ष–0112–ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु–4201–एक मुश्त प्रावधान" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में किया जायेगा।

(79)

6. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे। राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से इस विभाग द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर किया जायेगा।

7. योजना के अनुमोदन की स्वीकृति में सक्षम प्राधिकार मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन दिनांक 17.11.2009 को संचिका संख्या– 5प/यो०–01–26/2009 के पृष्ट 28/टि० पर प्राप्त है।

8. आंतरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति संचिका के पृष्ट 25/टि. पर प्राप्त है।

9. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. राशि की निकासी के लिए इस विभाग द्वारा अलग के आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा जिसके आलोक में राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।

11. इसका विपत्र कोड पी– 2515008000112 एवं मांग संख्या– 16 है।

विश्वासभाजन

सरकार के सचिव।
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक– 5प/यो०–1–26/2009/6936/पं०रा०,

पटना, दिनांक 30-11-2009

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, बजट शाखा/ योजना एवं विकास विभाग/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक, पंचायत राज/ सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/ सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक–8प / आ0–2–11 / 2018 / 13(स्वी0) / पं0रा0.

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ओम प्रकाश यादव,
संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 17 / 07 / 2018

विषयः– **राज्य की ग्राम कचहरियों को जिन्हें अपना भवन नहीं है, प्रत्येक ग्राम कचहरी अधिकतम ₹1,000.00 (एक हजार रूपये) मात्र प्रतिमाह की दर से किराया पर भवन उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में ₹3,81,60,000.00 (तीन करोड़ एकासी लाख साठ हजार रूपये) मात्र अनुदान स्वरूप राशि की स्वीकृति।**

आदेशः–स्वीकृत।

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 90 के आलोक में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में अधिनियम के अधीन सौंपे गये न्यायिक कृत्यों के निर्वहन हेतु एक ग्राम कचहरी की स्थापना की गई है। अधिकांश ग्राम कचहरियों को सम्प्रति अपना भवन नहीं होने के कारण कार्य सम्पादन / निष्पादन हेतु भवन उपलब्ध कराना आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य की ग्राम कचहरियों को जिन्हें अपना भवन नहीं था, को प्रत्येक ग्राम कचहरी अधिकतम ₹500.00 (पाँच सौ रूपये) मात्र प्रतिमाह की दर से किराया पर भवन उपलब्ध कराने का निर्णय वर्ष 2009 में लिया गया था। इस अवधि के बीच महँगाई बढने, किराये में वृद्धि होने के कारण सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य की ग्राम कचहरियों को जिन्हें अपना भवन नहीं है, प्रत्येक ग्राम कचहरी अधिकतम ₹1,000.00 (एक हजार रुपये) मात्र प्रतिमाह की दर से किराया पर भवन उपलब्ध कराया जायेगा।

2. ग्राम कचहरी भवन किराया के संबंध में दिशा–निर्देश निम्नवत् है :–

(क) किराया पर लिये जाने वाले भवन का अधिकतम किराया ₹1,000.00 (एक हजार रूपये) मात्र प्रतिमाह अनुमान्य होगा।

(ख) पूर्व में ₹500.00 (पाँच सौ रुपये) प्रतिमाह किराये पर लिये गये ग्राम कचहरी भवनों के मामले में पुनरीक्षित किराया दर निर्धारित होने पर ही अधिकतम किराया ₹1,000 (एक हजार रुपये) प्रतिमाह अनुमान्य होगा।

(ग) किराये पर भवन में कम से कम कचहरी हेतु परिसर सहित कमरा / भवन जिसका न्यूनतम कारपेट एरिया 800 वर्गफीट हो।

(घ) किराया पर भवन संबंधित ग्राम कचहरी के सरपंच / उपसरपंच / पंच की सम्पत्ति से संबंधित नहीं हो।

(ङ) किराया पर भवन संबंधित ग्राम कचहरी के क्षेत्र के अन्तर्गत एवं संबंधित ग्राम पंचायत के मुख्यालय के ग्राम में अवस्थित हो।

कृ0पृ0उ0

(च) ग्राम कचहरी हेतु किराये के भवन का चयन संबंधित ग्राम कचहरी के सरपंच के परामर्श से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अनुमोदन/सम्पुष्टि के पश्चात् एकरारनामा (Agreement) के द्वारा किया जायेगा।

3. राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में राज्य की ग्राम कचहरियों को, जिन्हें अपना भवन नहीं है, प्रत्येक ग्राम कचहरी अधिकतम ₹1,000.00 (एक हजार रुपये) मात्र प्रतिमाह की दर से किराया पर भवन उपलब्ध कराने हेतु संलग्न विवरणी (अनुलग्नक–I) के अनुसार अंकित राशि कुल ₹38160000.00 (तीन करोड़ एकासी लाख साठ हजार रूपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी सभी ग्राम कचहरी का खाता संख्या एकत्र कर जिला कोषागार को उपलब्ध करायेगें। जिला कोषागार उक्त राशि को सीधे ग्राम कचहरी के खाते में राशि अंतरित करेंगे। राशि का भुगतान ग्राम कचहरी के सरपंच/उप–सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। ग्राम कचहरी द्वारा राशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण–पत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा समेकित रूप से आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. राशि का उपयोग उचित रूप से हो इसका उत्तरदायित्व जिला पंचायत राज पदाधिकारी का होगा।

6. इस व्यय का वहन राज्य स्कीम मद के "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उप मुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–800–अन्य व्यय– उपशीर्ष–0112–ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु" अन्तर्गत विषयशीर्ष–0112.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन से वित्तीय वर्ष 2018–19 में किया जायेगा।

7. स्वीकृत्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति संचिका संख्या–8प/आ०–2–11/2018 के पृष्ठ–05/टि0 पर दिनांक–02.07.2018 को प्राप्त है।

8. प्रस्ताव में स्वीकृति प्राधिकार प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन संचिका संख्या–8प0/आ0–2–11/2018 के पृष्ठ सं0–07/टि0 पर प्राप्त है।

9. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. राशि की निकासी के लिए इस विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा।

11. इसका विपत्र कोड 16–2515008000112 एवं मांग संख्या–16 है।

12. इस स्वीकृत्यादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

विश्वासभाजन

(ओम प्रकाश यादव)
संयुक्त सचिव

पत्र संख्या- 5प/योजना-01-26/2009/पं०रा०/ 63(आ०) /

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

डॉ० दीपक प्रसाद,
सरकार के सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना/दिनांक 15-02-2010

विषय- राज्य के ग्राम कचहरियों को, जिन्हे अपना भवन नहीं है, प्रत्येक ग्राम कचहरी अधिकतम 500.00 रु0 (पाँच सौ रुपये) प्रतिमाह की दर से किराया पर भवन उपलब्ध कराने हेतु योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघुशीर्ष-800-अन्य व्यय-उपशीर्ष-0112-ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु"-4201-एक मुश्त प्रावधान" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 में व्यय हेतु राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक योजना आय-व्ययक शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय 2,15,27,000=00 (दो करोड़ पन्द्रह लाख सत्ताईस हजार रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

(2) यह आवंटन राज्यादेश संख्या - 6936 दिनांक 30.11.2009 के आलोक में दिया जा रहा है।

(3) इस विभाग के पत्रांक 2664 दिनांक 20.06.09 द्वारा ऐसे ग्राम कचहरियों, जिन्हें अपना भवन नहीं है,को किराया पर भवन उपलब्ध कराने हेतु उनके लिए किराये का भवन चयन कर अधिसूचित करने का निदेश दिया गया है। उसी निर्देश के आलोक में उन ग्राम कचहरियों को राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दिनांक 17 अप्रैल 1998 में निहित अनुदशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

C:\Users\DELL\Desktop\BIPIN\Up Secretary.doc

(87)

(5) इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय।

(6) आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमों के आलोक में किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(7) वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधान तथा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रुप से नियंत्रण रखा जा सके।

(8) कोषागार में प्रस्तुत किये जानेवाली सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रुप से अंकित की जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

(9) इसकी मांग संख्या-16 एवं विपत्र कोड पी-2515008000112 है।

(10) इसकी व्यय विवरणी टी0भी0नं0 एवं तिथि के साथ अनिवार्य रुप से इस कार्यालय को भेजी जाये।

(11) राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे।

(12) राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी। यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक - 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में दिया जा रहा है, जिसके आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र आवश्यक नहीं है।

विश्वासभाजन

(ह०) 13.2.10

सरकार के सचिव

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 5प/योजना-01-26/2009/.....63(आ०)

पटना, दिनांक 15-02-2010

प्रतिलिपि:- महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक, पंचायत राज/सभी संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) 13.2.10

सरकार के सचिव,

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

C:\Users\DELL\Desktop\...\Dp Secretary.doc

विवरणी

योजना मुख्य शीर्ष -2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम –लघु शीर्ष–800 अन्य व्यय-उपशीर्ष-0112 ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु–4201–एकमुश्त प्रावधान" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में संबंधित जिला पदाधिकारी को राशि का आवंटन

क्रम संख्या	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (जिला पदाधिकारी)	वैसे ग्राम कचहरियां, जिनके अपना भवन नहीं है, को किराया पर भवन हेतु आवंटित राशि (रू0 में)	
1	2	3	
1	बक्सर	3,61,000	(तीन लाख एकसठ हजार रू0)
2	रोहतास	6,26,000	(छ: लाख छब्बीस हजार रू0)
3	भोजपुर	5,80,000	(पांच लाख अस्सी हजार रू0)
4	नालन्दा	6,33,000	(छ: लाख तेतीस हजार रू0)
5	पटना	8,42,000	(आठ लाख बियालिस हजार रू0)
6	कैमूर	3,84,000	(तीन लाख चौरासी हजार रू0)
7	गया	8,44,000	(आठ लाख चौवालिस हजार रू0)
8	नवादा	4,76,000	(चार लाख छिहत्तर हजार रू0)
9	औरंगाबाद	5,16,000	(पाँच लाख सोलह हजार रू0)
10	जहानाबाद	2,37,000	(दो लाख सैंतिस हजार रू0)
11	अरवल	1,74,000	(एक लाख चौहत्तर हजार रू0)
12	सारण	8,39,000	(आठ लाख उन्नचालिस हजार रू0)
13	सीवान	7,45,000	(सात लाख पैंतालिस हजार रू0)
14	गोपालगंज	5,95,000	पाँच लाख पनचानबे हजार रू0)
15	मुजफ्फरपुर	9,84,000	(नौ लाख चौरासी हजार रू0)
16	वैशाली	7,38,000	(सात लाख अड़तीस हजार रू0)
17	पू0 चम्पारण	10,43,000	(दस लाख तैंतालिस हजार रू0)
18	प0 चम्पारण	8,01,000	(आठ लाख एक हजार रू0)
19	सीतामढ़ी	6,94,000	(छ: लाख चौरानबे हजार रू0)
20	शिवहर	1,36,000	(एक लाख छत्तीस हजार रू0)
21	भागलपुर	6,16,000	(छ: लाख सोलह हजार रू0)
22	बाँका	4,71,000	चार लाख एकहत्तर हजार रू0)
23	मधुबनी	10,15,000	(दस लाख पन्द्रह हजार रू0)
24	समस्तीपुर	9,69,000	(नौ लाख उन्नहत्तर हजार रू0)
25	दरभंगा	8,39,000	(आठ लाख उन्नचालिस हजार रू0).
26	सहरसा	3,89,000	(तीन लाख नवासी हजार रू0)
27	मधेपुरा	4,32,000	(चार लाख बत्तीस हजार रू0)
28	सुपौल	4,60,000	(चार लाख साठ हजार रू0)
29	पूर्णिया	6,38,000	(छ: लाख अड़तीस हजार रू0)
30	अररिया	5,55,000	(पाँच लाख पचपन हजार रू0)
31	किशनगंज	3,21,000	(तीन लाख एक्कीस हजार रू0)
32	कटिहार	6,05,000	(छ: लाख पाँच हजार रू0)
33	मुंगेर	2,57,000	(दो लाख सनतावन हजार रू0)
34	जमुई	3,89,000	(तीन लाख नवासी हजार रू0)
35	बेगुसराय	6,54,000	(छ: लाख चौवन हजार रू0)
36	खगड़िया	3,28,000	(तीन लाख अठाईस हजार रू0)
37	लखीसराय	2,03,000	(दो लाख तीन हजार रू0)
38	शेखपुरा	1,38,000	(एक लाख अड़तीस हजार रू0)
	योग	2,15,27000	(दो करोड़ पन्द्रह लाख सैताईस हजार रू0)

पत्र संख्या– 8प/योजना–101/2011 84(आ०)/ पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

शशिकान्त तिवारी, भा०प्र०से०
निदेशक,
पंचायती राज विभाग,बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार। (भोजपुर, वैशाली, बांका, दरभंगा, मुंगेर, जमुई एवं शेखपुरा को छोड़कर)

पटना/दिनांक 13-03-2013

विषय– राज्य के ग्राम कचहरियों को, जिन्हे अपना भवन नहीं है, प्रत्येक ग्राम कचहरी अधिकतम 500.00 रु० (पाँच सौ रुपये) प्रतिमाह की दर से किराया पर भवन उपलब्ध कराने हेतु योजना मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–लघुशीर्ष–800–अन्य व्यय–उपशीर्ष–0112–ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु–3106 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में व्यय हेतु राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक योजना आय–व्ययक शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय 4,44,37,215=00 (चार करोड़ चौवालीस लाख सैंतीस हजार दो सौ पन्द्रह रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

(2) यह आवंटन स्वीकृत्यादेश संख्या -- 45 दिनांक 11.03.2013 के आलोक में दिया जा रहा है।

(3) इस विभाग के पत्रांक 2664 दिनांक 20.06.09 द्वारा ऐसे ग्राम कचहरियों, जिन्हें अपना भवन नहीं है, को किराया पर भवन उपलब्ध कराने हेतु उनके लिए किराये का भवन चयन कर अधिसूचित करने का निदेश दिया गया है। उसी निर्देश के आलोक में उन ग्राम कचहरियों को राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दिनांक 17 अप्रैल 1998 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

(5) इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय।

(6) आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमों के आलोक में किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(7) वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रुप से नियंत्रण रखा जा सके।

(8) कोषागार में प्रस्तुत किये जानेवाली सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रुप से अंकित की जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

(9) इसकी मांग संख्या–16 एवं विपत्र कोड पी–2515008000112 है।

D:\Computer No. 4\F drive\PRD, 2013\Vijay\Section-8\Director\Hindi, Sec-8.doc

(4)

(10) इसकी व्यय विवरणी टी०भी०नं० एवं तिथि के साथ अनिवार्य रुप से इस कार्यालय को भेजी जाये।

(11) राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे।

(12) राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी। यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक – 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में दिया जा रहा है, जिसके आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र आवश्यक नहीं है।

विश्वासभाजन

निदेशक, 13/3/13

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– 8प/योजना–101/2011 84(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 13-03-2013

प्रतिलिपि:– महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक, पंचायत राज/सभी संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, 13/3/13

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पत्र संख्या 8प / आ०-2-07 / 2016 / 18(आ०) / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

सुरेश प्रसाद साह,
संयुक्त सचिव

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 29/07/2016

विषय : **विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04 दिनांक 05.07.2016 द्वारा स्वीकृत ₹4,19,79,259.00 (चार करोड़ उन्नीस लाख उनासी हजार दो सौ उनसठ रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04 दिनांक 05.07.2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में संलग्न विवरणी के अनुसार राज्य की ग्राम कचहरियों को जिन्हें भवन नहीं है, प्रत्येक ग्राम कचहरी अधिकतम ₹1,000.00 (एक हजार रूपये) मात्र प्रतिमाह की दर से किराया भवन उपलब्ध कराने हेतु ₹4,19,79,259.00 (चार करोड़ उन्नीस लाख उनासी हजार दो सौ उनसठ रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में संलग्न विवरणी के अनुसार कुल ₹4,19,79,259.00 (चार करोड़ उन्नीस लाख उनासी हजार दो सौ उनसठ रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05 / 98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 423 दिनांक 31.03.2016, 2793 दिनांक 04.04.2016, 2063 दिनांक 11.03.2016 तथा 4572 दिनांक 03.06.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

4. इस राशि की निकासी **"योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-800-अन्य व्यय-उपशीर्ष-0112-ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु" गद अंतर्गत "3106-सहायक अनुदान-वेतनादि के आलावा"** इकाई से वित्तीय वर्ष 2016-17 में किया जायेगा।

5. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में जिला कोषागार से करेंगे। कोषागार मे प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष / लघुशीर्ष / उपशीर्ष / प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र संख्या

D:\Sh Excel\Allotment\Allotment 2016-17\Plan\P 25150080011...\Letter.docx

कृ०पृ०उ०

एवं माग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय मे लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छदमपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमो के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नही हो।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. इस आवटन आदेश के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

10. आवटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

11. इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड संख्या P 2515008000112 है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

अनुलग्नकः– यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

28-7-2016

(सुरेश प्रसाद साह)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 8प/आ०–2–07/2016/...18(अ०२)/पं०रा० पटना, दिनांक 29/07/ 2016

प्रतिलिपि – महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रशाखा 5 एवं 8/आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नकः– यथा उपर्युक्त।

28/7/2016

(सुरेश प्रसाद साह)

संयुक्त सचिव

ग्राम कचहरी भवन किराया हेतु वित्तीय वर्ष 2016—17 मे आवंटित राशि की विवरणी

क्र० सं०	जिला	किराया पर भवन की संख्या	रू० 1000 X 12 माह की दर से राशि	बकाया राशि	कुल आवंटित राशि	
1	2	3	4	5	6	
1	पटना	131	1572000.00		1572000.00	(पंद्रह लाख बहत्तर हजार रूपये) मात्र
2	बक्सर	133	1596000.00		1596000.00	(पंद्रह लाख छियानबे हजार रूपये) मात्र
3	रोहतास	42	504000.00		504000.00	(पाँच लाख चार हजार रूपये) मात्र
4	भोजपुर	156	1872000.00		1872000.00	(अठारह लाख बहत्तर हजार रूपये) मात्र
5	नालंदा	114	1368000.00		1368000.00	(तेरह लाख अड़सठ हजार रूपये) मात्र
6	कैमुर	23	276000.00		276000.00	(दो लाख छिहत्तर हजार रूपये) मात्र
7	गया	47	564000.00		564000.00	(पाँच लाख चौसठ हजार रूपये) मात्र
8	नवादा	111	1332000.00		1332000.00	(तेरह लाख बत्तीस हजार रूपये) मात्र
9	औरंगाबाद	131	1572000.00		1572000.00	(पंद्रह लाख बहत्तर हजार रूपये) मात्र
10	जहानाबाद	61	732000.00		732000.00	(सात लाख बत्तीस हजार रूपये) मात्र
11	अरवल	36	432000.00		432000.00	(चार लाख बत्तीस हजार रूपये) मात्र
12	सारण	50	600000.00		600000.00	(छह लाख रूपये) मात्र
13	सिवान	136	1632000.00		1632000.00	(सोलह लाख बत्तीस हजार रूपये) मात्र
14	गोपालगंज	22	264000.00		264000.00	(दो लाख चौंसठ हजार रूपये) मात्र
15	मुजफ्फरपुर	-	1306000.00		1306000.00	(तेरह लाख छह हजार रूपये) मात्र
16	वैशाली	178	2136000.00		2136000.00	(इक्कीस लाख छत्तीस हजार रूपये) मात्र
17	सीतामढ़ी	50	600000.00		600000.00	(छह लाख रूपये) मात्र
18	पूर्वी चम्पारण	167	2004000.00		2004000.00	(बीस लाख चार हजार रूपये) मात्र
19	प० चम्पारण	104	1248000.00		1248000.00	(बारह लाख अड़तालीस हजार रूपये) मात्र
20	शिवहर	19	228000.00		228000.00	(दो लाख अट्ठाईस हजार रूपये) मात्र
21	भागलपुर	41	492000.00		492000.00	(चार लाख बानवे हजार रूपये) मात्र
22	बांका	44	528000.00	520000.00	1048000.00	(दस लाख अड़तालीस हजार रूपये) मात्र
23	दरभंगा	264	3168000.00		3168000.00	(इक्कतीस लाख अड़सठ हजार रूपये) मात्र
24	मधुबनी	123	1476000.00		1476000.00	(चौदह लाख छिहत्तर हजार रूपये) मात्र
25	समस्तीपुर	112	1344000.00		1344000.00	(तेरह लाख चौवालीस हजार रूपये) मात्र
26	सहरसा	49	588000.00		588000.00	(पाँच लाख अट्ठासी हजार रूपये) मात्र
27	मधेपुरा	54	648000.00		648000.00	(छह लाख अड़तालीस हजार रूपये) मात्र
28	सुपौल	35	420000.00		420000.00	(चार लाख बीस हजार रूपये) मात्र
29	पूर्णिया	88	1056000.00		1056000.00	(दस लाख छप्पन हजार रूपये) मात्र
30	अररिया	156	1872000.00		1872000.00	(अठारह लाख बहत्तर हजार रूपये) मात्र
31	कटिहार	168	2016000.00		2016000.00	(बीस लाख सोलह हजार रूपये) मात्र
32	किशनगंज	43	516000.00		516000.00	(पाँच लाख सोलह हजार रूपये) मात्र
33	मुंगेर	94	1128000.00		1128000.00	(ग्यारह लाख अट्ठाईस हजार रूपये) मात्र
34	जमुई	68	816000.00	2023259.00	2839259.00	(अट्ठाइस लाख उनतालीस हजार दो सौ उनसठ रूपये) मात्र
35	बेगुसराय	38	456000.00		456000.00	(चार लाख छप्पन हजार रूपये) मात्र
36	खगड़िया	20	240000.00		240000.00	(दो लाख चालीस हजार रूपये) मात्र
37	लखीसराय	58	696000.00		696000.00	(छह लाख छियानबे हजार रूपये) मात्र
38	शेखपुरा	-	138000.00		138000.00	(एक लाख अड़तीस हजार रूपये) मात्र
	कुल	**3166.00**	**39436000.00**	**2543259.00**	**41979259.00**	**(चार करोड़ उन्नीस लाख उनासी हजार दो सौ उनसठ रूपये) मात्र**

28-7-2016

(सुरेश प्रसाद राय)

संयुक्त सचिव

पत्र संख्या 8प/आ०-2-08/2016/ 23(314) पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

सुरेश प्रसाद साह,
संयुक्त सचिव

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 31/08/ 2016

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-10 दिनांक-22.08.2016 द्वारा स्वीकृत ₹2,79,83,985.00 (दो करोड़ उनासी लाख तिरासी हजार नौ सौ पिचासी रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-10 दिनांक-22.08.2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य की प्रत्येक ग्राम कचहरी को प्रशासनिक व्यय हेतु कुल ₹2,79,83,985.00 (दो करोड़ उनासी लाख तिरासी हजार नौ सौ पिचासी रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में संलग्न विवरणी के अनुसार जिलावार कुल ₹2,79,83,985.00 (दो करोड़ उनासी लाख तिरासी हजार नौ सौ पिचासी रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 423 दिनांक 31.03.2016, 2063 दिनांक 11.03.2016, 2793 दिनांक 04.04.2016, तथा 4572 दिनांक 03.06.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4. इस राशि की निकासी **"योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-800-अन्य व्यय-उपशीर्ष-0112-ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु" मद अंतर्गत "3106-सहायक अनुदान-वेतनादि के आलावा"** इकाई से वित्तीय वर्ष 2016-17 में किया जायेगा।

5. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में जिला कोषागार से करेंगे। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड

एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

10. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

11. इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड संख्या P 2515008000112 है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

अनुलग्नकः– यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

Sd/- 30/8/16

(सुरेश प्रसाद साह)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 8प / आ०–2–08 / 2016 / 23 (3/8) पं०रा० पटना, दिनांक 31/08/2016

प्रतिलिपि – महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना / / सभी कोषागार पदाधिकारी / सभी जिला पदाधिकारी / प्रशाखा 5 एवं आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नकः– यथा उपर्युक्त।

Sd/- 30/8/16

(सुरेश प्रसाद साह)

संयुक्त सचिव

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2016-17\Plan\P 2515008000112\Letter.docx

वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य की ग्राम कचहरियों को प्रशासनिक व्यय हेतु ₹3335.00 (तीन हजार तीन सौ पैंतीस रूपये) मात्र की राशि की दर से आवंटित राशि की विवरणी।

क्र0	जिला	ग्राम कचहरियों की संख्या	निर्धारित दर	आवंटित राशि (रूपये में)		
1	बक्सर	142	3335	₹	473570.00	(चार लाख तिहत्तर हजार पाँच सौ सत्तर रूपये) मात्र
2	रोहतास	245	3335	₹	817075.00	(आठ लाख सतरह हजार पिचहत्तर रूपये) मात्र
3	भोजपुर	228	3335	₹	760380.00	(सात लाख साठ हजार तीन सौ अस्सी रूपये) मात्र
4	नालन्दा	249	3335	₹	830415.00	(आठ लाख तीस हजार चार सौ पन्द्रह रूपये) मात्र
5	पटना	322	3335	₹	1073870.00	(दस लाख तिहत्तर हजार आठ सौ सत्तर रूपये) मात्र
6	कैमूर	149	3335	₹	496915.00	(चार लाख छियानवे हजार नौ सौ पन्द्रह रूपये) मात्र
7	गया	332	3335	₹	1107220.00	(ग्यारह लाख सात हजार दो सौ बीस रूपये) मात्र
8	नवादा	187	3335	₹	623645.00	(छह लाख तेईस हजार छह सौ पैंतालीस रूपये) मात्र
9	औरंगाबाद	204	3335	₹	680340.00	(छह लाख अस्सी हजार तीन सौ चालीस रूपये) मात्र
10	जहानाबाद	93	3335	₹	310155.00	(तीन लाख दस हजार एक सौ पचपन रूपये) मात्र
11	अरवल	65	3335	₹	216775.00	(दो लाख सोलह हजार सात सौ पिचहत्तर रूपये) मात्र
12	सारण	323	3335	₹	1077205.00	(दस लाख सतहत्तर हजार दो सौ पाँच रूपये) मात्र
13	सीवान	293	3335	₹	977155.00	(नौ लाख सतहत्तर हजार एक सौ पचपन रूपये) मात्र
14	गोपालगंज	234	3335	₹	780390.00	(सात लाख अस्सी हजार तीन सौ नब्बे रूपये) मात्र
15	मुजफ्फरपुर	385	3335	₹	1283975.00	(बारह लाख तिरासी हजार नौ सौ पिचहत्तर रूपये) मात्र
16	वैशाली	288	3335	₹	960480.00	(नौ लाख साठ हजार चार सौ अस्सी रूपये) मात्र
17	पू0 चम्पारण	405	3335	₹	1350675.00	(तेरह लाख पचास हजार छह सौ पिचहत्तर रूपये) मात्र
18	प0 चम्पारण	315	3335	₹	1050525.00	(दस लाख पचास हजार पांच सौ पचीस रूपये) मात्र
19	सीतामढ़ी	273	3335	₹	910455.00	(नौ लाख दस हजार चार सौ पचपन रूपये)मात्र
20	शिवहर	53	3335	₹	176755.00	(एक लाख छिहत्तर हजार सात सौ पचपन रूपये) मात्र
21	भागलपुर	242	3335	₹	807070.00	(आठ लाख सात हजार सत्तर रूपये) मात्र
22	बांका	185	3335	₹	616975.00	(छह लाख सोलह हजार नौ सौ पिचहत्तर रूपये) मात्र
23	मधुबनी	399	3335	₹	1330665.00	(तेरह लाख तीस हजार छह सौ पैंसठ रूपये) मात्र
24	समस्तीपुर	381	3335	₹	1270635.00	(बारह लाख सत्तर हजार छह सौ पैंतीस रूपये) मात्र
25	दरभंगा	324	3335	₹	1080540.00	(दस लाख अस्सी हजार पांच सौ चालीस रूपये) मात्र
26	सहरसा	151	3335	₹	503585.00	(पाँच लाख तीन हजार पांच सौ पिचासी रूपये) मात्र
27	मधेपुरा	170	3335	₹	566950.00	(पाँच लाख छियासठ हजार नौ सौ पचास रूपये) मात्र
28	सुपौल	181	3335	₹	603635.00	(छह लाख तीन हजार छह सौ पैंतीस रूपये) मात्र
29	पूर्णिया	246	3335	₹	820410.00	(आठ लाख बीस हजार चार सौ दस रूपये) मात्र
30	अररिया	218	3335	₹	727030.00	(सात लाख सताईस हजार तीस रूपये) मात्र
31	किशनगंज	126	3335	₹	420210.00	(चार लाख बीस हजार दो सौ दस रूपये) मात्र
32	कटिहार	237	3335	₹	790395.00	(सात लाख नब्बे हजार तीन सौ पिनचानबे रूपये) मात्र
33	मुंगेर	101	3335	₹	336835.00	(तीन लाख छत्तीस हजार आठ सौ पैंतीस रूपये) मात्र
34	जमुई	153	3335	₹	510255.00	(पाँच लाख दस हजार दो सौ पचपन रूपये) मात्र
35	बेगूसराय	229	3335	₹	763715.00	(सात लाख तिरेसठ हजार सात सौ पन्द्रह रूपये) मात्र
36	खगड़िया	129	3335	₹	430215.00	(चार लाख तीस हजार दो सौ पन्द्रह रूपये) मात्र
37	लखीसराय	80	3335	₹	266800.00	(दो लाख छियासठ हजार आठ सौ रूपये) मात्र
38	शेखपुरा	54	3335	₹	180090.00	(एक लाख अस्सी हजार नब्बे रूपये) मात्र
कुल		8391		₹	27983985.00	(दो करोड़ उनासी लाख तिरासी हजार नौ सौ पिचासी रूपये) मात्र

30/8/16

(सुरेश प्रसाद साह)
संयुक्त सचिव

अत्यावश्यक / अविलम्ब
ई-मेल / फैक्स

पत्र संख्या 8प / आ०-02-05 / 2016 / ...24(आ०)... / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

सुरेश प्रसाद साह,
संयुक्त सचिव

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 05/09/ 2016

विषय : विभागीय राज्यादेश संख्या-11 दिनांक-31.08.2016 द्वारा स्वीकृत राशि के विरूद्ध कुल ₹75,00,00,000.00 (पिचहत्तर करोड़ रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या-11 दिनांक-31.08.2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में ग्राम कचहरी सचिव के नियत मानदेय एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्र की नियत फीस के भुगतान हेतु कुल ₹75,00,00,000.00 (पिचहत्तर करोड़ रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में ''गैर-योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-00 -ग्राम कचहरी के विभिन्न मदो हेतु'' के अन्तर्गत '3106-सहायक अनुदान-वेतनादि के आलोक इकाई मद में संलग्न विवरणी के अनुसार कुल ₹75,00,00,000.00 (पिचहत्तर करोड़ रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05 / 98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 423 दिनांक 31.03.2016, 2063 दिनांक 11.03.2016, 2793 दिनांक 04.04. 2016 तथा 4572 दिनांक 03.06.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4. आवंटित की जा रही राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो आवंटित राशि का व्यय एवं उपयोग विभागीय राज्यादेश संख्या-11 दिनांक-31.08.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक मे करेंगे।

5. राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियमों के आलोक में की जायेगी।

6. कोषागार मे प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष / लघुशीर्ष / उपशीर्ष / प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय मे लेखा संधारण सूचारु ढंग से हो सके।

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2016-17\Non Plan\Gram Kachahri sachiv & Nyaymitr\Letter.docx

राम प्रकाश सिंह
अनुश्रवण पदाधिकारी
(विशेष सचिव)
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. आवंटित राशि की व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को तथा मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

11. इस आवंटन आदेश तथा इसके साथ संलग्न विवरणी के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

13. इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड संख्या N2515001980010 है।

14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त

ह० 5/9/16
(सुरेश प्रसाद साह)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 8प/आ०-02-05/2016/ 25..(5150) पं०रा० पटना, दिनांक 05/09/2016

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार/प्रशाखा 5 एवं आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त

ह० 5/9/16
(सुरेश प्रसाद साह)
संयुक्त सचिव

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2016-17\Non-Plan\Gram Kachahri sachiv & Nyaymitr\Letter.docx

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

ग्राम कचहरी सचिव एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्र को वर्ष 2016–17 मे नियत मानदेय एवं नियत फीस के भुगतान हेतु आवंटित राशि की विवरणी

क्र० सं०	जिला	नियोजित ग्राम कचहरी सचिव की संख्या	ग्राम कचहरी सचिव के नियत मानदेय हेतु स्वीकृत राशि (₹6000 प्रतिमाह की दर से)	नियोजित न्यायमित्र की संख्या	ग्राम कचहरी न्यायमित्र के नियत फीस भुगतान हेतु स्वीकृत राशि (₹7000 प्रतिमाह की दर से)	कुल आवंटित राशि		
1	2	3	4	5	6	7		
1	बक्सर	102	4896000.00	116	6496000.00	₹	11392000.00	(एक करोड़ तेरह लाख बयानबे हजार रुपये) मात्र
2	रोहतास	226	10848000.00	202	11312000.00	₹	22160000.00	(दो करोड़ इक्कीस लाख साठ हजार रूपये) मात्र
3	भोजपुर	207	9936000.00	194	10864000.00	₹	20800000.00	(दो करोड़ आठ लाख रूपये) मात्र
4	नालन्दा	197	9456000.00	179	10024000.00	₹	19480000.00	(एक करोड़ चौरानबे लाख अस्सी हजार रूपये) मात्र
5	पटना	326	15648000.00	310	17360000.00	₹	33008000.00	(तीन करोड़ तीस लाख आठ हजार रूपये) मात्र
6	कैमूर	136	6528000.00	136	7616000.00	₹	14144000.00	(एक करोड़ इकतालीस लाख चौवालीस हजार रूपये) मात्र
7	गया	286	13728000.00	286	16016000.00	₹	29744000.00	(दो करोड़ सन्तानबे लाख चौवालीस हजार रूपये) मात्र
8	नवादा	166	7968000.00	155	8680000.00	₹	16648000.00	(एक करोड़ छियासठ लाख अड़तालीस हजार रूपये) मात्र
9	औरंगाबाद	202	9696000.00	168	9408000.00	₹	19104000.00	(एक करोड़ इक्यानबे लाख चार हजार रूपये) मात्र
10	जहानाबाद	86	4128000.00	79	4424000.00	₹	8552000.00	(पचासी लाख बावन हजार रूपये) मात्र
11	अरवल	62	2976000.00	34	1904000.00	₹	4880000.00	(अड़तालीस लाख अस्सी हजार रूपये) मात्र
12	सारण	317	15216000.00	288	16128000.00	₹	31344000.00	(तीन करोड़ तेरह लाख चौवालीस हजार रूपये) मात्र
13	सिवान	270	12960000.00	259	14504000.00	₹	27464000.00	(दो करोड़ चौहत्तर लाख चौसठ हजार रूपये) मात्र
14	गोपालगंज	223	10704000.00	192	10752000.00	₹	21456000.00	(दो करोड़ चौदह लाख छप्पन हजार रूपये) मात्र
15	मुजफ्फरपुर	296	14208000.00	335	18760000.00	₹	32968000.00	(तीन करोड़ उनतीस लाख अड़सठ हजार रूपये) मात्र
16	वैशाली	274	13152000.00	242	13552000.00	₹	26704000.00	(दो करोड़ सड़सठ लाख चार हजार रूपये) मात्र
17	पू० चम्पारण	318	15264000.00	280	15680000.00	₹	30944000.00	(तीन करोड़ नौ लाख चौवालीस हजार रूपये) मात्र
18	प० चम्पारण	292	14016000.00	280	15680000.00	₹	29696000.00	(दो करोड़ छियानबे लाख छियानबे हजार रूपये) मात्र
19	सीतामढ़ी	258	12384000.00	206	11536000.00	₹	23920000.00	(दो करोड़ उनतालीस लाख बीस हजार रूपये) मात्र
20	शिवहर	53	2544000.00	51	2856000.00	₹	5400000.00	(चौवन लाख रूपये) मात्र
21	भागलपुर	198	9504000.00	164	9184000.00	₹	18688000.00	(एक करोड़ छियासी लाख अठ्ठासी हजार रूपये) मात्र
22	बांका	179	8592000.00	176	9856000.00	₹	18448000.00	(एक करोड़ चौरासी लाख अड़तालीस हजार रूपये) मात्र
23	मधुबनी	275	13200000.00	241	13496000.00	₹	26696000.00	(दो करोड़ छियासठ लाख छियानबे हजार रूपये) मात्र
24	समस्तीपुर	353	16944000.00	310	17360000.00	₹	34304000.00	(तीन करोड़ तैंतालीस लाख चार हजार रूपये) मात्र
25	दरभंगा	274	13152000.00	284	15904000.00	₹	29056000.00	(दो करोड़ नब्बे लाख छप्पन हजार रूपये) मात्र
26	सहरसा	135	6480000.00	138	7728000.00	₹	14208000.00	(एक करोड़ बयालीस लाख आठ हजार रूपये) मात्र
27	मधेपुरा	147	7056000.00	149	8344000.00	₹	15400000.00	(एक करोड़ चौवन लाख रूपये) मात्र
28	पूर्णिया	161	7728000.00	134	7504000.00	₹	15232000.00	(एक करोड़ बावन लाख बत्तीस हजार रूपये) मात्र

क्र० सं०	जिला	नियोजित ग्राम कचहरी सचिव की संख्या	ग्राम कचहरी सचिव के नियत मानदेय हेतु स्वीकृत राशि (₹6000 प्रतिमाह की दर से)	नियोजित न्यायमित्र की संख्या	ग्राम कचहरी न्यायमित्र के नियत फीस भुगतान हेतु स्वीकृत राशि (₹7000 प्रतिमाह की दर से)	कुल आवंटित राशि		
1	2	3	4	5	6	7		
[illegible]	[illegible]	194	9312000.00	185	10360000.00	₹	19672000.00	(एक करोड़ छियानवे लाख बहत्तर हजार रूपये) मात्र
[illegible]	[illegible]	191	9168000.00	190	10640000.00	₹	19808000.00	(एक करोड़ अन्ठानवे लाख आठ हजार रूपये) मात्र
[illegible]	[illegible]	115	5520000.00	103	5768000.00	₹	11288000.00	(एक करोड़ बारह लाख अठ्ठासी हजार रूपये) मात्र
[illegible]	[illegible]	227	10896000.00	203	11368000.00	₹	22264000.00	(दो करोड़ बाईस लाख चौसठ हजार रूपये) मात्र
[illegible]	[illegible]	95	4560000.00	74	4144000.00	₹	8704000.00	(सतासी लाख चार हजार रूपये) मात्र
[illegible]	[illegible]	146	7008000.00	145	8120000.00	₹	15128000.00	(एक करोड़ इक्यावन लाख अट्ठाईस हजार रूपये)
[illegible]	[illegible]	249	11952000.00	238	13328000.00	₹	25280000.00	(दो करोड़ बावन लाख अस्सी हजार रूपये) मात्र
[illegible]	[illegible]	117	5616000.00	118	6608000.00	₹	12224000.00	(एक करोड़ बाईस लाख चौबीस हजार रूपये) मात्र
[illegible]	[illegible]	70	3360000.00	51	2856000.00	₹	6216000.00	(बासठ लाख सोलह हजार रूपये) मात्र
[illegible]	[illegible]	51	3672000.00	52	3904000.00	₹	7576000.00	(पिचहत्तर लाख छिहत्तर हजार रूपये) मात्र
कुल राशि		7474	359976000.00 (पैंतीस करोड़ निन्यानबे लाख छिहत्तर हजार रूपये) मात्र	6947	390024000.00 (उनचालीस करोड़ चौबीस हजार रूपये) मात्र	₹	750000000.00	(पिचहत्तर करोड़ रूपये) मात्र

5/9/16

(सुरेश प्रसाद साह)
संयुक्त सचिव

पत्रांक 2प / वि०2–17–44 / 2017 / ....19.... / पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

सुरेश प्रसाद साह
संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 29/03/2017

विषय : राज्य के कुल 807 नवनिर्मित पंचायत सरकार भवनों के लिए उपस्कर क्रय हेतु ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की दर से कुल ₹40,35,00,000.00 (चालीस करोड़ पैतीस लाख रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि संविधान के 73वें संशोधन में निहित सत्ता के विकेन्द्रीकरण की मूल भावना को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से प्रत्येक स्तर पर विकास कार्यों में जनसहभागिता प्राप्त करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों को चरणबद्ध तरीके से शक्तियाँ एवं दायित्व सौंपे जा रहें हैं। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत को सुचारू रूप से संचालन हेतु 13वीं वित्त आयोग एवं राज्य योजना मद से चरणवद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जा रहा है। वर्त्तमान में राज्य में कुल 807 पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो चुका है। इन पंचायत सरकार भवन को क्रियाशील करने हेतु उपस्कर आदि क्रय के लिए प्रत्येक पंचायत सरकार भवन को ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि उपलब्ध कराने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

2. राज्य सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के आलोक में कुल 807 नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन (जिलावार विवरणी सलंग्न) को क्रियाशील करने हेतु वित्तीय वर्ष–2016–17 में ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की दर से कुल ₹40,35,00,000.00 (चालीस करोड़ पैतीस लाख रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस राशि का उपयोग इन पंचायत सरकार भवनों को क्रियाशील करने हेतु आवश्यक उपस्कर यथा–टेबुल, कुर्सी, अलमीरा, पंखा, माईक सेट, LED Bulb, लेखन सामग्री, दरी एवं अन्य आकस्मिक सामग्री के क्रय के लिए किया जायेगा।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद होंगे। उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद आवंटित अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय महालेखाकार एवं पंचायती राज विभाग को विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे।

4. इस राशि की निकासी "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–800–अन्य व्यय–उप शीर्ष–0114–ग्राम पंचायत के विभिन्न मदों हेतु" अतंर्गत '3106–सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा' विषय शीर्ष से किया जायेगा।

5. इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड पी2515008000114 है, जिसका उपयोग कोषागार में भेजे जानेवाले विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदनों में किया जायेगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी।

7. वित विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार पत्र आवश्यक नहीं है।

8. राशि की निकासी के लिए इस विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा, जिसके आलोक में राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।

9. इसमें मंत्रीपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

10. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृष्ट संख्या–9/टि0 दिनांक–29.03.2017 पर प्राप्त है।

11. इस स्वीकृत्यादेश के प्रत्येक पृष्ठ संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित है।

अनुलग्नकः–यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

ह0/- 29/3/2017

(सुरेश प्रसाद साह)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :2प/वि0–17–44/2017/पं0रा0/19/पटना, दिनांक 29/03 2017

प्रतिलिपि – सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 29/3/2017

(सुरेश प्रसाद साह)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2प/वि0–17–44/2017/पं0रा0/19/ पटना, दिनांक 29/03 2017

प्रतिलिपि – सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 29/3/2017

(सुरेश प्रसाद साह)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2प/वि0–17–44/2017/पं0रा0/19/पटना, दिनांक 29/03 2017

प्रतिलिपि – सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 29/3/2017

(सुरेश प्रसाद साह)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2प/वि०–17–44/2014/पं०रा०/19/ पटना, दिनांक 29/03 2017

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा 5, पंचायती राज विभाग/ आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 29/3/2017

(सुरेश प्रसाद साह)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2प/वि०–17–44/2014/पं०रा०/19/ पटना, दिनांक 29/03/ 2017

प्रतिलिपि – आप्त सचिव, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह० 29/3/2017

(सुरेश प्रसाद साह)
संयुक्त सचिव

जिलावार पूर्ण पंचायत सरकार भवनों को क्रियाशील किये जाने हेतु उपस्कर आदि क्रय के लिए प्रति ग्राम पंचायत ₹5,00,000.00 की दर से राशि की विवरणी :–

क्र0 सं0	जिला का नाम	पूर्ण पंचायत सरकार भवन की संख्या	प्रति पंचायत पाँच लाख रू0 की दर से स्वीकृत राशि
1	भोजपुर	31	15500000
2	नालन्दा	30	15000000
3	गया	19	9500000
4	नवादा	14	7000000
5	अरवल	10	5000000
6	सिवान	24	12000000
7	सीतामढ़ी	14	7000000
8	भागलपुर	26	13000000
9	बांका	17	8500000
10	दरभंगा	12	6000000
11	किशनगंज	17	8500000
12	जमुई	8	4000000
13	बेगूसराय	20	10000000
14	खगड़िया	12	6000000
15	लखीसराय	12	6000000
16	समस्तीपुर	44	22000000
17	मधेपुरा	29	14500000
18	सुपौल	11	5500000
19	मुंगेर	5	2500000
20	मुजफ्फरपुर	37	18500000
21	शेखपुरा	7	3500000
22	कटिहार	28	14000000
23	रोहतास	38	19000000
24	पटना	13	6500000
25	कैमूर	20	10000000
26	औरंगाबाद	29	14500000
27	जहानाबाद	14	7000000
28	सारण	19	9500000
29	गोपालगंज	27	13500000
30	वैशाली	25	12500000
31	पूर्वी चम्पारण	55	27500000
32	पश्चिमी चम्पारण	26	13000000
33	शिवहर	04	2000000
34	मधुबनी	44	22000000
35	सहरसा	14	7000000
36	पूर्णिया	25	12500000
37	अररिया	20	10000000
38	बक्सर	7	3500000
	कुल	807	403500000

कुल–(चालीस करोड़ पैंतीस लाख रूपये) मात्र

27/3/2017

(सुरेश प्रसाद साह)
संयुक्त सचिव

श्री प्रशाखा
श्री ग्राम
3/1/18

पत्रांकः 5प / राज्य स्कीम 02 14 / 2017 / 51 (आ०) पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कुलदीप नारायण, भा०प्र०से०

निदेशक

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,

बिहार।

पटना, दिनांक 02/01/2018

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 26 दिनांक 21.12.2017 द्वारा स्वीकृत कुल ₹3,35,64,000.00 (तीन करोड़ पैंतीस लाख चौसठ हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 26 दिनांक 21.12.2017 द्वारा राज्य की प्रत्येक ग्राम कचहरी (कुल 8391 ग्राम कचहरियों) को प्रशासनिक व्यय हेतु ₹4,000.00 (चार हजार रूपये) मात्र की दर से कुल ₹3,35,64,000.00 (तीन करोड़ पैंतीस लाख चौसठ हजार रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश 26 दिनांक 21.12.2017 एवं इसके साथ संलग्न जिलावार विवरणी अनुलग्नक-1 के अनुसार कुल ₹3,35,64,000.00 (तीन करोड़ पैंतीस लाख चौसठ हजार रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 428 दिनांक 31.03.2017 एवं 3002 दिनांक 26.04.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जाता है।

4. इस राशि की निकासी राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-800-अन्य व्यय-उपशीर्ष-0112-ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु" मद के विषय शीर्ष "0112.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन" इकाई से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16-2515008000112 है।

5. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में जिला कोषागार से करेंगे। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड

D:\M...\Allotment\Allotment 2017-18\State Scheme\P 2515008000112\Letter.docx

क्र०पृ०उ०..........

एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

10. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ निदेशक, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

ह०/- 01/01/18

(कुलदीप नारायण)

निदेशक

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–14/2017/ 51(अनु) पं०रा० पटना, दिनांक 02/01/2018

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा 05 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) एवं 08 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 01/01/18

(कुलदीप नारायण)

निदेशक

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–14/2017/ 51(अनु) पं०रा० पटना, दिनांक 02/01/2018

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह०/- 01/01/18

(कुलदीप नारायण)

निदेशक

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2017-18\State Scheme\P 25150080001117\Letter.docx

(7)

पत्रांकः 2प / वि02–" –26 / 2014 / 32 / पं.रा.

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ओम प्रकाश यादव,
संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार, (ले0 एवं ह0)
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 14 / 03 / 2018

विषय : वित्तीय वर्ष 2017–18 में ग्राम पंचायतों को पंचायत भवन के रख–रखाव, प्रशासनिक व्यय / उपस्कर क्रय हेतु कुल ₹54,47,00,000.00 (चौवन करोड़ सैंतालिस लाख रूपये) मात्र राशि की स्वीकृति।

महाशय

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि संविधान के 73वें संशोधन में निहित सत्ता के विकेन्द्रीकरण की मूल भावना को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से प्रत्येक स्तर पर विकास कार्यों में जन सहभागिता प्राप्त करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों को चरणबद्ध तरीके से शक्तियाँ एवं दायित्व सौपें जा रहे हैं। इसी क्रम में ग्राम पंचायतों को सशक्त एवं इनके क्रिया कलापों के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यकतानुसार राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में चरणवद्ध तरीके से कुल 1435 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायतों को सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु पूर्व से प्रशासनिक व्यय / उपस्कर क्रय के लिए राशि उपलब्ध कराई जाती रही है।

2. अबतक कुल 1435 निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों में से कुल 996 पंचायत सरकार भवनों को पूर्ण कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल नवनिर्मित पूर्ण 807 पंचायत सरकार भवनों को क्रियाशील करने के लिए प्रशासनिक व्यय / उपस्कर क्रय हेतु ₹500000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि प्रति ग्राम पंचायत की दर से कुल ₹40,35,00,000.00 (चालीस करोड़ पैंतीस लाख रूपये) मात्र की राशि उपलब्ध कराई गई है।

3. वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रत्येक ग्राम पंचायतों को सुचारू रूप से संचालित किये जाने के लिए प्रशासनिक व्यय / उपस्कर क्रय हेतु कुल ₹54,47,00,000.00(चौवन करोड़ सैंतालिस लाख रूपये) मात्र राशि की स्वीकृति निम्नवत् दी जाती है:–

(क) वित्तीय वर्ष 2017–18 में पूर्ण 189 नवनिर्मित पंचायत सरकार भवनों (अनुलग्नक–'क') को पंचायत भवन के रखरखाव, प्रशासनिक व्यय / उपस्कर क्रय हेतु ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि प्रति ग्राम पंचायत की दर से ₹9,45,00,000.00 (नौ करोड़ पैतालीस लाख रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति दी जाती है।

(ख) वित्तीय वर्ष 2016–17 तक पूर्ण 807 नवनिर्मित पंचायत सरकार भवनों (अनुलग्नक–'ख') को पंचायत भवन के रखरखाव, प्रशासनिक व्यय / उपस्कर क्रय हेतु ₹1,00,000.00 (एक लाख रूपये) मात्र की राशि प्रति ग्राम पंचायत की दर से ₹8,07,00,000.00 (आठ करोड़ सात लाख रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति दी जाती है।

(ग) शेष 7390 ग्राम पंचायतो को पंचायत भवन के रखरखाव, प्रशासनिक व्यय / उपस्कर क्रय हेतु ₹50,000.00(पचास हजार रूपये) मात्र की राशि प्रति ग्राम पंचायत की दर से ₹36,95,00,000.00 (छत्तीस करोड़ पिचानवें लाख रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति दी जाती है (अनुलग्नक–'ग')।

(6)

(घ) यह भी स्वीकृति दी जाती है कि जिन 807 पंचायतों को वर्ष 2016–17 में पंचायत सरकार भवनों को क्रियाशील करने हेतु पाँच लाख रूपया प्रति पंचायत की दर से राशि उपलब्ध करायी गई है वे भी उसका उपयोग पंचायत भवन के रख–रखाव, प्रशासनिक व्यय एवं उपस्कर खरीद हेतु कर सकेंगे।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो जिले की ग्राम पंचायतों को अविलम्ब राशि उपलब्ध करायेंगे। जिला पंचायत राज पदाधिकारी ग्राम पंचायतों को स्वीकृत एवं आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय महालेखाकर एवं पंचायती राज विभाग को विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे।

5 इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2017–18 में मांग संख्या–16 के तहत राज्य स्कीम के "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–800–अन्य व्यय–उपशीर्ष–0114–ग्राम पंचायत के विभिन्न मदों हेतु" का विषय शीर्ष '0114.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन' से किया जायेगा। इसका विपत्र कोड 16–2515008000114 है।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 270 के आलोक में की जायेगी।

7. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार पत्र आवश्यक नहीं है।

8. राशि की निकासी के लिए इस विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा, जिसके आलोक में राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।

9. योजना की स्वीकृति के संबंध में समीक्षा प्राधिकार लोक वित्त समिति का अनुमोदन संचिका संख्या–2प/वि–2–26/14 के पृष्ट 112–110/प पर दिनांक 28.02.2018 को एवं स्वीकृति प्राधिकार मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति संचिका सं0–2प/वि–2–26/2014 के पृष्ट 63/टि0 पर दिनांक 06.03.2018 को प्राप्त है।

10. इस स्वीकृत्यादेश के प्रत्येक पृष्ट संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

विश्वासभाजन

14/3/18

(ओम प्रकाश यादव)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2प/वि०2–26/2014/पं०रा०/ 32 / पटना, दिनांक 14/03/ 2018

प्रतिलिपि – सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/3/18

(ओम प्रकाश यादव)
संयुक्त सचिव

D:\Tahseen 2018 File\Ashok Sir\Sanlekh & Press & Karyanvyan Anusuchi (related to ... Bhawan ...) - 2017.docx

ज्ञापांक : 2प/वि०2–26/2014/पं०रा०/ 32 / पटना, दिनांक 14/03/ 2018

प्रतिलिपि – सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ओम प्रकाश यादव)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2प/वि०2–26/2014/पं०रा०/ 32 / पटना, दिनांक 14/03/ 2018

प्रतिलिपि – सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ओम प्रकाश यादव)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2प/वि०2–26/2014/पं०रा०/ 32 / पटना, दिनांक 14/03/ 2018

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा 5, पंचायती राज विभाग/ आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ओम प्रकाश यादव)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2प/वि०2–26/2014/पं०रा०/ 32 / पटना, दिनांक 14/03/ 2018

प्रतिलिपि – आप्त सचिव, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(ओम प्रकाश यादव)
संयुक्त सचिव

उपयोगिता प्रमाण पत्र कागजात

पत्रांक : 5प / राज्य स्कीम–02–14 / 2017 / 27 (आ०) पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

हरेन्द्र नाथ दुबे, भा०प्र०से०
संयुक्त सचिव

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार (मुजफ्फरपुर को छोड़कार)।

पटना, दिनांक 31.07.18

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 13(स्वी०) दिनांक 17.07.2018 द्वारा स्वीकृत कुल ₹3,81,60,000.00 (तीन करोड़ इक्कयासी लाख साठ हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में वैसे ग्राम कचहरी जिन्हें अपना भवन नहीं है, को प्रतिमाह अधिकतम ₹1,000.00 (एक हजार रूपये) मात्र की दर से भवन किराया हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 13(स्वी०) दिनांक 17.07.2018 के साथ संलग्न विवरणी अनुलग्नक–1 के अनुसार कुल ₹3,81,60,000.00 (तीन करोड़ इक्कयासी लाख साठ हजार रूपये) मात्र अनुदान स्वरूप राशि उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश 13(स्वी०) दिनांक 17.07.2018 एवं इसके साथ संलग्न विवरणी अनुलग्नक–1 के अनुसार कुल ₹3,81,60,000.00 (तीन करोड़ इक्कयासी लाख साठ हजार रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05 / 98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 289 दिनांक 28.03.2018, 354 दिनांक 28.03.2018 एवं 3244 दिनांक 04.05.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4. इस राशि की निकासी राज्य स्कीम अंतर्गत ''मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–800–अन्य व्यय–उपशीर्ष–0112–ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु'' मद के विषय शीर्ष ''0112.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन'' इकाई से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16-2515008000112 है।

5. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में जिला कोषागार से करेंगे। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष / लघुशीर्ष / उपशीर्ष / प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड

एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

25/7/18

(हरेन्द्र नाथ दुबे)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–14/2017/27(अनु०)/पं०रा० पटना, दिनांक 31.07.18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी (मुजफ्फरपुर को छोड़कार)/सभी कोषागार पदाधिकारी (मुजफ्फरपुर को छोड़कार)/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–05 (उपयोगिता प्रामण पत्र कोषांग) एवं 08 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेुत प्रेषित।

25/7/18

(हरेन्द्र नाथ दुबे)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–14/2017/27(अनु०)/पं०रा० पटना, दिनांक 31.07.18

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

25/7/18

(हरेन्द्र नाथ दुबे)
संयुक्त सचिव

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2018-19\State Scheme\P 2515008000112\Letter.docx

(उपयोगिता प्रमाण पत्र)
(स्वीकृत आदेश)

पत्रांकः 5प / राज्य स्कीम-02-14 / 2017 / 28 (अनु०) / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

हरेन्द्र नाथ दुबे, भा०प्र०से०
संयुक्त सचिव

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 31.07.18

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 12(स्वी०) दिनांक 12.07.2018 द्वारा स्वीकृत कुल ₹3,35,44,000.00 (तीन करोड़ पैंतीस लाख चौवालीस हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 12(स्वी०) दिनांक 12.07.2018 द्वारा राज्य की प्रत्येक ग्राम कचहरी (कुल 8386 ग्राम कचहरियों) को प्रशासनिक व्यय हेतु ₹4,000.00 (चार हजार रूपये) मात्र की दर से कुल ₹3,35,44,000.00 (तीन करोड़ पैंतीस लाख चौवालीस हजार रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश 12(स्वी०) दिनांक 12.07.2018 एवं इसके साथ संलग्न जिलावार विवरणी अनुलग्नक-1 के अनुसार कुल ₹3,35,44,000.00 (तीन करोड़ पैंतीस लाख चौवालीस हजार रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05 / 98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 289 दिनांक 28.03.2018, 354 दिनांक 28.03.2018 एवं 3244 दिनांक 04.05.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4. इस राशि की निकासी राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-800-अन्य व्यय-उपशीर्ष-0112-ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु" मद के विषय शीर्ष "0112.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन" इकाई से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16-2515008000112 है।

5. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में जिला कोषागार से करेंगे। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष / लघुशीर्ष / उपशीर्ष / प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2018-19\State Scheme\P 2515008000112\Letter.docx

कृ०प०उ०.................

25/7

एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

25/7/18

(हरेन्द्र नाथ दुबे)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–14/2017/28 (आ०) पं०रा० पटना, दिनांक 31.07.18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–05 (उपयोगिता प्रामण पत्र कोषांग) एवं 08 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेत प्रेषित।

25/7/18

(हरेन्द्र नाथ दुबे)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–14/2017/28 (आ०) पं०रा० पटना, दिनांक 31.07.18

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

25/7/18

(हरेन्द्र नाथ दुबे)
संयुक्त सचिव

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2018-19\State Scheme\P 2515008000112\Letter.docx

15

पत्रांक 2प / वि०–2–26 / 2014 / 21 (स्वी०) / पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

हरेन्द्र नाथ दूबे
संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 01 / 10 / 2018

विषय : **वित्तीय वर्ष 2018–19 में पंचायत सरकार भवनों / ग्राम पंचायत भवनों के रख–रखाव एवं प्रशासनिक व्यय / उपस्कर क्रय हेतु ₹44,58,50,000.00 (चौवालीस करोड़ अन्ठावन लाख पचास हजार रूपये) मात्र राशि की स्वीकृति।**

संविधान के 73वें संशोधन में निहित सत्ता के विकेन्द्रीकरण की मूल भावना को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से प्रत्येक स्तर पर विकास कार्यों में जन सहभागिता प्राप्त करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों को चरणबद्ध तरीके से शक्तियाँ एवं दायित्व सौंपें जा रहे हैं। इसी क्रम में ग्राम पंचायतों को सशक्त एवं इनके क्रिया कलापों के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यकतानुसार राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में चरणबद्ध तरीके से कुल 1435 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायतों को सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु पूर्व से प्रशासनिक व्यय / उपस्कर क्रय के लिए राशि उपलब्ध कराई जाती रही है।

2. अबतक कुल 1435 निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों में से कुल 1055 पंचायत सरकार भवनों को पूर्ण कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में 807 पंचायतों को प्रति पंचायत 5 लाख रूपये की दर से रख–रखाव / उपस्कर क्रय / प्रशासनिक व्यय आदि हेतु ₹40,35,00,000.00 (चालीस करोड़ पैंतीस लाख रूपये) मात्र की राशि उपलब्ध कराई गई है। पुनः 2017–18 में कुल 189 पंचायतों को प्रति पंचायत 5 लाख रूपये की दर से रख–रखाव / उपस्कर क्रय / प्रशासनिक व्यय आदि हेतु ₹9,45,00,000.00 (नौ करोड़ पैंतालीस लाख रूपये) मात्र की राशि उपलब्ध कराई गई है। साथ ही वर्ष 2017–18 में कुल 807 पंचायत सरकार भवन की रख–रखाव / प्रशासनिक व्यय एवं उपस्कर क्रय के लिए ₹1,00,000.00 (एक लाख रूपये) की दर से ₹8,07,00,000.00 (आठ करोड़ सात लाख रूपये) तथा शेष 7390 पंचायतों के रख–रखाव / प्रशासनिक व्यय एवं उपस्कर क्रय हेतु प्रति पंचायत ₹50,000.00 (पचास हजार रूपये) की दर से ₹36,95,00,000.00 (छत्तीस करोड़ पिचानवे लाख रूपये) मात्र की राशि उपलब्ध कराई गई है। अबतक कुल ₹94,82,00,000.00 (चौरानवे करोड़ बयासी लाख रूपये) मात्र की राशि उपलब्ध कराई गई है।

3. वित्तीय वर्ष 2018–19 में पंचायत सरकार भवनों / ग्राम पंचायत भवनों को सुचारू रूप से संचालित किये जाने के लिए रख–रखाव एवं प्रशासनिक व्यय / उपस्कर क्रय हेतु कुल ₹44,58,50,000.00 (चौवालीस करोड़ अन्ठावन लाख पचास हजार रूपये) मात्र राशि की स्वीकृति निम्न प्रकार से प्रदान की जाती है:–

(क) वित्तीय वर्ष 2018–19 में पूर्ण 59 नवनिर्मित पंचायत सरकार भवनों (अनुलग्नक–'क') को पंचायत भवन के रख–रखाव एवं प्रशासनिक व्यय / उपस्कर क्रय हेतु ₹500000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि प्रति ग्राम पंचायत की दर से ₹2,95,00,000.00 (दो करोड़ पंचानवे लाख रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति दी जाती है।

(ख) शेष 8327 ग्राम पंचायतो (अनुलग्नक–ख) को पंचायत भवनों के रख–रखाव एवं प्रशासनिक व्यय / उपस्कर क्रय हेतु ₹50,000.00 (पचास हजार रूपये) मात्र की राशि प्रति ग्राम पंचायत की दर से ₹41,63,50,000.00 (एकतालीस करोड़ तीरसठ लाख पचास हजार रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति दी जाती है।

क्र०प०30

D:\Tahseen 2018 File\Anup Sir\sanlekh for GP sec-2\sanlekh for GP 2.docx 26

(14)

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे। जिला पंचायत राज पदाधिकारी आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय महालेखाकार एवं पंचायती राज विभाग को विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे।

5. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018–19 में मांग संख्या–16 के तहत राज्य स्कीम के "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–800–अन्य व्यय– उपशीर्ष–0114–ग्राम पंचायत के विभिन्न मदों हेतु" का विषय शीर्ष '0114.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन" के अन्तर्गत किया जायेगा। इसका विपत्र कोड 16–2515008000114 है।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी।

7. वित विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार पत्र आवश्यक नहीं है।

8. राशि की निकासी के लिए इस विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा, जिसके आलोक में राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।

9. इसमें मंत्रीपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

10. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृष्ट संख्या– 93 /टि0 दिनांक– 06/09/2018 एवं प्रधान सचिव का अनुमोदन पृष्ट संख्या– 95 /टि0 दिनांक 24/09/2018 पर प्राप्त है।

11. इस स्वीकृत्यादेश के प्रत्येक पृष्ठ संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित है।

अनुलग्नकः यथा उपर्युक्त।

28/9/18

(हरेन्द्र नाथ दूबे)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2प/ वि०–2–26/2014/पं०रा०/ 2।(5-वी०) पटना, दिनांक 01/10/ 2018

प्रतिलिपि – सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/9/18

(हरेन्द्र नाथ दूबे)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2प/ वि०–2–26/2014/पं०रा०/ 21(2-वी०) पटना, दिनांक 01/10/ 2018

प्रतिलिपि – सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/9/18

(हरेन्द्र नाथ दूबे)
संयुक्त सचिव

D:\Tahseen 2018 File\Anup Sir\Sanlekh for GP sec-2\sanlekh for GP 2.docx 27

13

ज्ञापांक : 2प/ वि०–2–26/2014/पं०रा०/ 21 (स्वी०) पटना, दिनांक 01/10/ 2018

प्रतिलिपि – सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बिहार/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/9/18

(हरेन्द्र नाथ दूबे)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2प/ वि०–2–26/2014/पं०रा०/ 21 (स्वी०) पटना, दिनांक 01/10/ 2018

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा 5, पंचायती राज विभाग/आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/9/18

(हरेन्द्र नाथ दूबे)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2प/ वि०–2–26/2014/पं०रा०/ 21 (स्वी०) पटना, दिनांक 01/10/ 2018

प्रतिलिपि – आप्त सचिव, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

25/9/18

(हरेन्द्र नाथ दूबे)

संयुक्त सचिव

(20)

पत्रांकः 2प / प0स0भ0–9–13 / 18 / 31(स्वी0) / पं.रा.

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

हरेन्द्र नाथ दूबे, भा0प्र0से0
संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार, (ले0 एवं ह0)
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 13 / 02 / 2019

विषय : वित्तीय वर्ष 2018–19 में ग्राम पंचायतों को पंचायत भवन के रख–रखाव, प्रशासनिक व्यय / उपस्कर क्रय हेतु कुल ₹50,00,000.00 (पच्चास लाख रूपये) मात्र राशि की स्वीकृति।

आदेश–स्वीकृत

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृति आदेश संख्या–32 दिनांक 14.03.2018 (अनुलग्नक सहित) आवंटनादेश संख्या–77(आ) दिनांक 19.03.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रत्येक ग्राम पंचायतों को सुचारू रूप से संचालित किये जाने के लिए प्रशासनिक व्यय / उपस्कर क्रय हेतु कुल ₹54,47,00,000.00(चौवन करोड़ सैंतालिस लाख रूपये) मात्र राशि की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें जिला पंचायत राज पदाधिकारी पटना को 10 पूर्ण नवनिर्मित पंचायत सरकार भवनों के रखरखाव, प्रशसनीक व्यय / उपस्कर क्रय हेतु ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र राशि प्रति ग्राम पंचायत की दर से कुल ₹50,00,000.00 (पच्चास लाख रूपये) राशि मात्र की स्वीकृति प्रदान गई थी। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 1437 दिनांक 22.10.2018 द्वारा उक्त आवंटित राशि की निकासी कतिपय कारणों से नहीं किये जाने का उल्लेख करते हुए वित्तीय वर्ष 2017–18 की उक्त राशि को वित्तीय वर्ष 2018–19 में आवंटित किये जाने अनुरोध किया गया है।

2. उक्त के आलोक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना को वित्तीय वर्ष 2017–18 में पूर्ण 10 नवनिर्मित पंचायत सरकार भवनों के रखरखाव, प्रशासनिक व्यय / उपस्कर क्रय हेतु ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि प्रति ग्राम पंचायत की दर से ₹50,00,000.00 (पच्चास लाख रूपये) मात्र की अनिकासीत राशि को पुनः वित्तीय वर्ष 2018–19 में निकासी किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना होगें। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना जिले के संबंधित ग्राम पंचायतों को अविलम्ब राशि उपलब्ध करायेंगे। जिला पंचायत राज पदाधिकारी ग्राम पंचायतों को स्वीकृत एवं आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय विहित प्रपत्र में महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

4. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018–19 में मांग संख्या–16 के तहत राज्य स्कीम के "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–800–अन्य व्यय–उपशीर्ष–0114–ग्राम पंचायत के विभिन्न मदों हेतु" का विषय शीर्ष '0114.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन' से किया जायेगा। इसका विपत्र कोड 16–2515008000114 है।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना बिहार से कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

(79)

6. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार पत्र आवश्यक नहीं है।

7. राशि की निकासी के लिए इस विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा, जिसके आलोक में राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।

8. इस स्वीकृत राशि के प्रस्ताव एवं प्रारूप में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन संचिका संख्या 2प/प0स0भ0–9–13/18 के पृष्ट 6/प पर दिनांक 11.01.2019 को प्राप्त है।

9. इस स्वीकृत्यादेश के प्रत्येक पृष्ट संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

विश्वासभाजन

8/2/19

(हरेन्द्र नाथ दूबे)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2प/प0स0भ0–9–13/18/31(स्वी0)/पं०रा० पटना, दिनांक 13/02/ 2019

प्रतिलिपि – जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/2/19

(हरेन्द्र नाथ दूबे)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2प/प0स0भ0–9–13/18/31(स्वी0)/पं०रा० पटना, दिनांक 13/02/ 2019

प्रतिलिपि – जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/2/19

(हरेन्द्र नाथ दूबे)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2प/प0स0भ0–9–13/18/31(स्वी0)/पं०रा० पटना, दिनांक 13/02/ 2019

प्रतिलिपि – प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल पटना / प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज पटना /जिला पदाधिकारी, पटना /उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/2/19

(हरेन्द्र नाथ दूबे)
संयुक्त सचिव

(18)

ज्ञापांक : 2प / प0स0भ0–9–13 / 18 / 31 (स्वी0) / पं०रा० पटना, दिनांक 13/02/. 2019

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग / प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा 5, पंचायती राज विभाग / आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/2/19

(हरेन्द्र नाथ दूबे)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2प / प0स0भ0–9–13 / 18 / 31 (स्वी0) / पं०रा० पटना, दिनांक 13/02/. 2019

प्रतिलिपि – आप्त सचिव, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

13/2/19

(हरेन्द्र नाथ दूबे)
संयुक्त सचिव

5

पत्रांकः 5प / राज्य स्कीम–02–14 / 2017 / 79(आ०) / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 16/3/2021

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 34(स्वी०) दिनांक 09.02.2021 द्वारा स्वीकृत कुल ₹3,96,36,000.00 (तीन करोड़ छियानवें लाख छत्तीस हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में वैसे ग्राम कचहरी जिन्हें अपना भवन नहीं है, को प्रतिमाह अधिकतम ₹1,000.00 (एक हजार रूपये) मात्र की दर से भवन किराया हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 34(स्वी०) दिनांक 09.02.2021 के साथ संलग्न विवरणी अनुलग्नक–I के अनुसार कुल ₹3,96,36,000.00 (तीन करोड़ छियानवें लाख छत्तीस हजार रूपये) मात्र अनुदान स्वरूप राशि उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

80-5

2. उक्त के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश 34(स्वी०) दिनांक 09.02.2021 एवं इसके साथ संलग्न जिलावार विवरणी अनुलग्नक–I के अनुसार कुल ₹3,96,36,000.00 (तीन करोड़ छियानवें लाख छत्तीस हजार रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05 / 98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 383 दिनांक 20.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4. इस राशि की निकासी राज्य स्कीम अंतर्गत ''मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–800–अन्य व्यय–उपशीर्ष–0112–ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु'' मद के विषय शीर्ष ''0112.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन'' इकाई से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16-2515008000112 है।

5. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में जिला कोषागार से करेंगे। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष / लघुशीर्ष / उपशीर्ष / प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड

18/3/21

एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव महोदय का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–14/2017 के पृष्ठ संख्या 23/टि० पर दिनांक 15.03.2021 को प्राप्त है।

11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

16/3

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–14/2017/79 (आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 16/3/2021

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–05 (उपयोगिता प्रामण पत्र कोषांग) एवं 08 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

15/3

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–14/2017/79(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 16/3/2021

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16/3

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2020-21\Allotment 2020-21\State Scheme\P 2515008000112\Letter.docx

पत्रांकः 5प / राज्य स्कीम–02–14 / 2017 / 80(आ०) / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 16/3/2021

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 41(स्वी०) दिनांक 09.03.2021 द्वारा स्वीकृत कुल ₹3,35,48,000.00 (तीन करोड़ पैंतीस लाख अड़तालीस हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 41(स्वी०) दिनांक 09.03.2021 द्वारा राज्य की प्रत्येक ग्राम कचहरी (कुल 8391 ग्राम कचहरियों) को प्रशासनिक व्यय हेतु ₹4,000.00 (चार हजार रूपये) मात्र की दर से कुल ₹3,35,48,000.00 (तीन करोड़ पैंतीस लाख अड़तालीस हजार रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 41(स्वी०) दिनांक 09.03.2021 एवं इसके साथ संलग्न जिलावार विवरणी अनुलग्नक–1 के अनुसार कुल ₹3,35,48,000.00 (तीन करोड़ पैंतीस लाख अड़तालीस हजार रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05 / 98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 383 दिनांक 20.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4. इस राशि की निकासी राज्य स्कीम अंतर्गत ''मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–800–अन्य व्यय–उपशीर्ष–0112–ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु'' मद के विषय शीर्ष ''0112.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन'' इकाई से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16-2515008000112 है।

5. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में जिला कोषागार से करेंगे। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष / लघुशीर्ष / उपशीर्ष / प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड

कृ०पृ०उ०.................

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2020-21\Allotment 2020-21\State Scheme\P 2515008000112\Letter.docx

एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्‌मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव महोदय का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–14/2017 के पृष्ठ संख्या 23/टि० पर दिनांक 15.03.2021 को प्राप्त है।

11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

ह०/ 16/3

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–14/2017/80 (आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 16/3/2021

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–05 (उपयोगिता प्रामण पत्र कोषांग) एवं 08 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेत प्रेषित।

ह०/ 16/3

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–14/2017/80 (आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 16/3/2021

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह०/ 16/3

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

15.3.21